



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240208
CG-DL-E-11112022-240208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]
No. 725]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2022

प्रस्तावना

सा.का.नि. 813(अ).—जबकि वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2022 का मसौदा, जो केन्द्र सरकार द्वारा वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, धारा 5, धारा 10 की उप-धारा (2) तथा धारा 10क, 10ख एवं 12क से प्राप्त शक्तियों के उपयोग से वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2011 का अधिक्रमण करके प्रस्तावित है, का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षा के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक ----- की सा.का.नि.----- (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (i), दिनांक----- के माध्यम से, इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से मसौदा वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2022 के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति के लिए किया गया है।

सुझाव अथवा आपत्तियां, यदि कोई हों, "मसौदा वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2022 के लिए सुझाव" की विषय लाइन के साथ श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को संबोधित किए जाने चाहिए अथवा उन्हें pk.thakur@nic.in पते पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त सुझाव अथवा आपत्ति को केन्द्र सरकार द्वारा विचार में लिया जाएगा।

मसौदा नियमावली
अध्याय I – प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष, विस्तार और आरंभ—

(i) इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 202..... कहा जाएगा।

(ii) इन नियमों का विस्तार समस्त भारत पर होगा और ये निम्न पर भी लागू होंगे -

1. भारत में पंजीकृत किसी विमान, तथा सवार व्यक्तियों के संबंध में, चाहे वे कहीं भी हों;
2. ऐसे प्रत्येक विमान एवं उसमें सवार व्यक्तियों के संबंध में जो फिलहाल भारत में अथवा भारतीय क्षेत्र में हैं;
3. ऐसे विमान तथा उसमें सवार व्यक्तियों के संबंध में, जिसका प्रचालन किसी ऐसे प्रचालक द्वारा किया जा रहा है जिसका प्रधान व्यवसाय स्थल अथवा स्थायी निवास स्थान भारत में है;
4. इनका प्रवर्तन सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से होगा।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि इस विषय अथवा संदर्भ में कोई भी बात प्रतिकूल न हो -

- i. “**धारित यात्री सामान**” से वह सामान अभिप्रेत है जो विमान के होल्ड में वहन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा जिसे जांच विमान में सवार यात्री द्वारा दर्ज किया गया है। (एतद्वारा “होल्ड बैगेज” के नाम से संदर्भित)
- ii. “**अधिनियम**” का अर्थ वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) है;
- iii. “**गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्य**” का अर्थ नागर विमानन की संरक्षा को ध्वस्त करने वाला कृत्य अथवा प्रयास है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ने अंतिम नहीं हैं :-

1. वायुयान का गैर-कानूनी कब्जा,
2. किसी वायुयान में उड़ान के दौरान तोड़फोड़ करना
3. वायुयान को उड़ान के दौरान अथवा एयरोड्रोमो पर बंधक बनाया जाना,
4. किसी वायुयान में उड़ान के दौरान किसी हवाईअड्डे पर अथवा किसी वैमानिकी सुविधा परिसर में बलपूर्वक घुसपैठ,
5. किसी वायुयान में उड़ान के दौरान अथवा किसी एयरोड्राम पर कोई हथियार अथवा खतरनाक यंत्र अथवा आपराधिक प्रयोजनार्थ अभिप्रेत सामग्री ले जाना,
6. मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने अथवा सम्पति अथवा पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उड़ान कार्य कर रहे विमान का उपयोग, तथा
7. उड़ान के दौरान अथवा भूमि पर किसी वायुयान की, किसी एयरोड्राम पर अथवा किसी नागर विमानन सुविधा परिसर पर यात्रियों, कर्मिंदल, भू-कार्मिक अथवा आम जनता की संरक्षा को ध्वस्त करने के उद्देश्य से झूठी सूचना का संप्रेषण।

- iv. “**एयरोड्रोम प्रवेश परमिट**” का अर्थ है एयरोड्रोम अथवा एयरोड्रोम के किसी भाग में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत महानिदेशक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र, स्मार्ट कार्ड अथवा अस्थाई परमिट;
- v. “**एयरोड्रोम प्रचालक**” का अर्थ किसी एयरोड्रोम के प्रचालन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम है;
- vi. “**हवाईअड्डा प्रचालक**” का अर्थ है हवाईअड्डा प्रचालन में संलिप्त अथवा संलिप्त होने के लिए ऑफर करने वाला कोई कथित, संगठन अथवा उद्यम;
- vii. “**एयरसाइड**” का अर्थ है किसी एयरोड्रोम का आवागमन क्षेत्र, सटा हुआ भू-भाग और भवन या उसका कोई भाग जिसमें प्रवेश नियंत्रित किया गया हो;
- viii. “**विमानन सुरक्षा**” से विधिविरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाइयों के विरुद्ध, नागर विमानन रक्षोपाय के आशय से उपायों, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संयोजन, अभिप्रेत है;

- ix. "विमानन सुरक्षा समूह" का अर्थ है किसी विशेषज्ञता प्राप्त सरकारी एजेंसी की एक इकाई जिसे महानिदेशक द्वारा गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा तथा नागर विमानन को संभालने वाले एयरोड्रोम पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- x. "पृष्ठभूमि जांच" का अर्थ सुरक्षा नियंत्रण लागू करने तथा / अथवा एयरोड्रोम में किसी रक्षण के बिना पहुंच की उपयुक्तता के मूल्यांकन के भाग के अंतर्गत किसी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास एवं अन्य सम्बद्ध सूचना सहित किसी व्यक्ति की पहचान एवं पूर्वानुभव की जांच करना है;
- xi. "व्यवसाय स्थापना"से किसी हवाईअड्डे का वह निर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है जहां वित्तीय प्रतिफल की प्राप्ति के लिए व्यवसाय संव्यवहार किए जाते हैं अथवा कोई सेवा प्रदान की जाती है अथवा दोनों हैं;
- xii. "केबिन बैगेज" का अर्थ है किसी वायुयान के केबिन में वहन के लिए अभिप्रेत कोई बैगेज;
- xiii. "कार्गो"का अर्थ है डाक, भंडार अथवा साथ की अथवा अनजाने में अलग हो गया बैगेज है;
- xiv. "केटरिंग भंडार" का अर्थ यात्री उड़ानगत सेवाओं से सम्बद्ध खानपान आपूर्तियों से इतर अन्य सभी मदें हैं जैसे समाचारपत्र, पत्रिकाएं, हैडफोन, ऑडियो एवं वीडियो स्टोरेज डिवाइसेस, तकिए एवं कंबल, तथा सुविधा किटें है।
- xv. "केटरिंग आपूर्तियों"का अर्थ विमान में उपयोग किए जाने वाले शुष्क भंडार और सम्बद्ध उपकरण के अलावा खानपान, पेय पदार्थ है;
- xvi. "प्रमाणन"का अर्थ महानिदेशक अथवा उनकी ओर से विमानन सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के पास महानिदेशक द्वारा परिभाषित स्वीकार्य स्तर के अनुसार सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने की आवश्यक क्षमताएं होने का औपचारिक मूल्यांकन एवं पुष्टि करना है;
- xvii. "अभिसमय" का अर्थ है 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय;
- xviii. "कर्मीदल सदस्य" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे उड़ान ड्यूटी की अवधि के दौरान वायुयान प्रचालक द्वारा, विमान में ड्यूटी करने के लिए निष्पादन के लिए कार्य सौंपे गए हैं;
- xix. "महानिदेशक"का अर्थ अधिनियम की धारा 4ख के अंतर्गत नियुक्त महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय है, जो अनुबंध 17 की अपेक्षाओं के लिए समुचित प्राधिकारी हैं;
- xx. "इकाई" का अर्थ अन्यो के अलावा हवाईअड्डे अथवा नागर विमानन सुविधा के परिसरों में, समय समय पर कोई सेवा, सुविधा प्रदान करने, वाणिज्यिक अथवा वित्तीय क्रियाकलाप करने अथवा कोई अन्य विधिक संव्यवहार करने वाला एयरोड्रोम प्रचालक, वायुयान प्रचालक, स्थल संचलन एजेंसी, विनियमित एजेंट, ईंधन फार्म, अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ), केटरिंग स्थापना, केन्द्र सरकार अथवा उसकी ओर से, समय समय पर, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी सहित कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवसाय स्थल है;
- xxi. "एक्सप्रेस कार्गो" का अर्थ है डाक से इतर तथा यात्रियों अथवा कर्मियों से स्वैच्छिक रूप से अथवा अनजाने में अलग हो गई अथवा साथ की वस्तुएं – जिन्हें किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाया, ले जाया जाना अपेक्षित होता है;
- xxii. "ईंधन फार्म" का अर्थ वह एजेंसी अथवा कम्पनी है जो हवाईअड्डे पर वायुयान प्रचालक के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन का भंडारण एवं आपूर्ति करती है;
- xxiii. "स्थल संचलन एजेंसी" का अर्थ हवाईअड्डे पर स्थल संचलन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित वह इकाई है जिसकी सुरक्षा क्लीयरेंस महानिदेशक द्वारा की गई है;
- xxiv. "उड़ान में सुरक्षा अधिकारी" से विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध वायुयान में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा वायुयान में तैनात सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत है;
- xxv. "ज्ञात प्रेषक" का अर्थ वह प्रेषक है जो स्वयं अपने कारक से कार्गो अथवा डाक का प्रेषण करता है तथा जिसकी प्रक्रियाएं एवं स्थापना महानिदेशक द्वारा किसी विमान से ऐसे कार्गो अथवा डाक के वहन के लिए अनुमोदन प्राप्त हैं;

- xxvi. **डाक** से डाक सेवा के प्रचालन के लिए निर्दिष्ट डाक प्रचालकों को पहुंचाने के लिए आशयित पत्रव्यवहार तथा अन्य वस्तुओं का प्रेषण अभिप्रेत है;
- xxvii. **“आवागमन क्षेत्र”** से किसी विमान क्षेत्र का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के भूतल आवागमन के लिए आशयित है और जिसके अंतर्गत मैनुवैरिंग एरिया तथा एप्रन भी हैं;
- xxviii. **“राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम”** से गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों से नागर विमानन के प्रचालनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अभिसमय के किसी भी उपाबंध को प्रभावी बनाने के निमित्त वह लिखित कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसकी स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है;
- xxix. **“व्यक्ति”** में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, कोई फर्म, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य कोई विधिक इकाई शामिल है, जो निगमित है अथवा निगमित नहीं है;
- xxx. **“निजी सुरक्षा एजेंसी”** का अर्थ निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप धारा (छ) में परिभाषित तथा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित कोई सुरक्षा सेवा प्रदाता है;
- xxxi. **“प्रतिषेध वस्तु”** से कोई वस्तु जिसे गैर कानूनी हस्तक्षेप का कोई कृत्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिसे उपयुक्त तरीके से घोषित न किया गया हो;
- xxxii. **“विनियमित अभिकर्ता”** का अर्थ कोई अभिकर्ता, मालभाड़ा अग्रेषक अथवा ऐसी कोई इकाई है जो वायुयान प्रचालक के साथ व्यवसाय संव्यवहार करती है तथा वह सुरक्षा नियंत्रण प्रदान करती है जिनकी स्वीकृति अथवा अपेक्षा विमान से कार्गो अथवा डाक के परिवहन के उद्देश्य से महानिदेशक द्वारा की गई है;
- xxxiii. **“नियमित कर्मचारी”** का अर्थ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी ठेकेदार के हस्तक्षेप के बिना नियमित आधार पर नियुक्त, नियोजित अथवा सेवा में लिया गया व्यक्ति है जिसे नियोजक द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है तथा जिनमें अनुबंध कर्मचारी शामिल नहीं हैं;
- xxxiv. **“अनुसूची”** का अर्थ इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची है;
- xxxv. **“अनुसूचित भारतीय विमान वाहक”** से वह विमान वाहक अभिप्रेत है जिसे नागर विमानन महानिदेशालय से विमान प्रचालक का प्रमाणपत्र (अनुसूचित अथवा अनुसूचित यात्री प्रचालक) प्राप्त है;
- xxxvi. **“स्क्रीनिंग”** से तकनीकी अथवा अन्य माध्यम का अनुप्रयोग अभिप्रेत है जो शस्त्रों, विस्फोटकों अथवा अन्य खतरनाक युक्तियों की पहचान अथवा पता लगाने के लिए अभिप्रेत हो, जिनका प्रयोग नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता हो;
- xxxvii. **“सुरक्षा संपरीक्षा”** का अर्थ राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं की गहन अनुपालन जांच करना है;
- xxxviii. **“सुरक्षा क्लीयरेंस”** का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा इकाई को पृष्ठभूमि जांच की सफल प्रक्रिया के पश्चात वर्गीकृत सूचना प्राप्त करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने अथवा हवाईअड्डे अथवा नागर विमानन से सम्बद्ध किसी सुविधा क्षेत्र पर प्रचालन का पात्र होने का स्तर प्रदान करना है;
- xxxix. **“सुरक्षा नियंत्रण”** से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा आयुध, विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक युक्तियों, वस्तु अथवा पदार्थों, जिन्हें किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को रोका जा सके;
- xl. **“सुरक्षा होल्ड क्षेत्र”** का अर्थ वह क्षेत्र है जो किसी यात्री की जांच अथवा स्क्रीनिंग चैकप्वाइंट तथा बोर्डिंग गेट के बीच स्थित है, जहां पहुंच नियंत्रित है तथा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं;
- xli. **“सुरक्षा घटना”** का अर्थ सुरक्षा घटना है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो अथवा गंभीर उपहति हो अथवा सम्पत्ति की बड़ी क्षति हो अथवा नागर विमान प्रचालनों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो, अथवा हस्तक्षेप का कोई ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसका सुरक्षा घटना के रूप में मूल्यांकन, महानिदेशक अथवा उनके द्वारा, उनकी ओर से, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने वाली इकाई के सुरक्षा प्रभारी ने सुरक्षा घटना के रूप में किया हो;

स्पष्टीकरण: - इस उद्देश्य से "गंभीर उपहति" वाक्यांश का आशय वही होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है।

- xlii. "सुरक्षा परीक्षा"से निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की घोषित अथवा अघोषित जांच की प्रभाव्यता अभिप्रेत है;
- xliii. "सुरक्षा जांच"का अर्थ नागर विमानन के प्रति किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य अथवा कृत्य के प्रयास तथा/अथवा नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम अथवा नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य विधिक तथा/अथवा विनियामक अपेक्षा की आरोपित अथवा संदेहास्पद घटना की जांच है;
- xliv. "सुरक्षा घटना"से अधिनियम, अथवा इन नियमों अथवा नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम अथवा इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत महानिदेशक द्वारा जारी निदेशों के प्रति किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप का कृत्य अथवा इसके प्रावधानों का उल्लंघन अभिप्रेत है। इनमें किसी ऐसी अतिसंवेदनशीलता की पहचान अथवा प्रेक्षण भी शामिल है जिससे नागर विमानन सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता हो;
- xl. "सुरक्षा कार्यक्रम"से महानिदेशक द्वारा लिखित विशिष्ट उपाय अभिप्रेत हैं जिन्हें विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के विरुद्ध, नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी अस्तित्व द्वारा अंगीकृत किया जाना है;
- xlvi. "सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र"से किसी हवाईअड्डे के एयर साइड के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो जोखिम क्षेत्रों के रूप में संज्ञान में लिए गए हैं, जहां प्रवेश नियंत्रण के अलावा अन्य सुरक्षा नियंत्रण लागू हैं। इनमें अन्यो के साथ साथ सुरक्षा होल्ड क्षेत्र शामिल हैं।
- xlvii. "भंडार (आपूर्तियां)"का अर्थ वह माल है जो विमान में विक्री अथवा उपयोग के लिए आशयित है, जिसमें तत्काल फिटिंग की अपेक्षा वाले अथवा अपेक्षा न होने वाले अतिरिक्त कलपूर्जे तथा उपस्कर की अन्य सामग्री शामिल है;
- xlviii. "सुरक्षा सर्वेक्षण"का अर्थ अतिसंवेदनशीलता की पहचान सहित सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन है जिनका उपयोग विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के प्रति, तथा सुधार कार्रवाईयों की अनुशंसाओं के लिए किया जा सकता है;
- xlix. "सुरक्षा परीक्षण"का अर्थ विमानन सुरक्षा उपाय का प्रच्छन्न अथवा प्रकट अभ्यास है जो किसी विधिविरुद्ध कृत्य के प्रयास की नकल होता है;
- I. "सुरक्षा पुनरीक्षण" का अर्थ किसी विमान, इकाई, व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का अनुपालन है;
- li. "संवेदनशील विमानन सुरक्षा सूचना"से वह सूचना अभिप्रेत है जिसकी पहुंच अथवा जिसका प्रकटीकरण किन्हीं अनधिकृत व्यक्तियों तक होने से संवेदनशीलता की उत्पत्ति अथवा अनुचित उपयोग अथवा नागर विमानन के प्रति विधिविरुद्ध हस्तक्षेप का कोई कृत्य हो सकता है;
- lii. "निर्दिष्ट" का अर्थ नियम 74 के अंतर्गत महानिदेशक द्वारा जारी निदेश हैं;
- liii. "टर्मिनल" से वह भवन अथवा भवनों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जहां यात्रियों, सामान, कार्गो, कूरियर बैगों आदि की स्क्रीनिंग और वायुयानों में बोर्डिंग की जाती है और इसके अंतर्गत आगमन भवन भी हैं;
- liv. "लावारिस सामान"से किसी विमान क्षेत्र पर सामान टैग लगा हुआ अथवा उसके बिना सामान अभिप्रेत है जिसे किसी यात्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया अथवा पहचाना नहीं गया है.;
- lv. "संवेदनशील क्षेत्र अथवा स्थल"का एयरोड्रोम पर स्थित अथवा संपर्कित सुविधा है जिसकी क्षति होने अथवा नष्ट होने की स्थिति में एयरोड्रोम की कार्यशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. महानिदेशक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व—महानिदेशक द्वारा

- (क) उड़ानों की संरक्षा, नियमितता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध कृत्यों तथा खतरे की संभावनाओं के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालकों के रक्षोपाय से संबंधित अभिसमय के उपबद्ध-17 के संगत राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को स्थापित, विकसित, क्रियान्वित, अनुरक्षित, और पुनरीक्षित करना;
- (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना;
- (ग) किसी भी बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे का सामना करने के लिए त्वरित जवाबी कार्रवाई करना;
- (घ) राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित अथवा इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र तथा वायुयान प्रचालकों और अन्य अस्तित्वों के मध्य क्रियाकलापों को परिभाषित करना तथा इन्हें कार्य आबंटित करना और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना;
- (ङ) विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित अथवा इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र और वायुयान प्रचालकों तथा अन्य अस्तित्वों के बीच सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति की स्थापना करना अथवा ऐसे ही समान व्यवस्थाएं इंतजाम करने के प्रावधान करना;
- (च) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में अंतर्वलित अथवा इसके लिए उत्तरदायी सभी अस्तित्वों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थापित, विकसित तथा क्रियान्वित करना जिन्हें उक्त सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;
- (छ) नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर एक ऐसे प्राधिकारी को पदानित करना जो सुरक्षा नियंत्रणों के क्रियान्वयन का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ज) विमानक्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों और कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर विमान क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करने के प्रावधान करना;
- (झ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावी अनुपालन अवधारित करने और इसे विधिमान्यकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित, क्रियान्वित तथा अनुरक्षित करना;
- (ट) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन सत्यापन करने और किसी भी कमी का तत्काल तथा प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा संपरीक्षा, जांच, सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के लिए व्यवस्था करना;
- (ठ) सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन करना, तथा संदर्भित राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा किए गए किसी सुरक्षा जोखिम आकलन के आधार पर इसके राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भित कारकों के सामंजस्य की नीतियों और कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया की स्थापना करना;
- (ड) नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में विनियामक एवं निगरानी के क्रियाकलाप करना।

अध्याय II नागर विमानन सुरक्षा समितियां

4. **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति.**—एक राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति होगी जिसमें सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में, महानिदेशक सदस्य सचिव-सह-संयोजक के रूप में और सदस्य होंगे जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन से संबंधित या जिम्मेदार होंगे जैसा कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम में निर्दिष्ट हैं।
5. **हवाईअड्डा सुरक्षा समिति** - सभी हवाईअड्डा प्रचालक, जिनके सुरक्षा कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुरूप एक हवाईअड्डा सुरक्षा समिति की स्थापना करेंगे।

अध्याय III - सुरक्षा संस्वीकृति और सुरक्षा कार्यक्रम

6. **एयरोड्रम और विमान प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम**
- (i) प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक और विमान प्रचालक, महानिदेशक के अनुमोदन से, इस नियम के प्रावधानों और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार अपने संबंधित सुरक्षा कार्यक्रम का विकास, क्रियान्वयन और अनुरक्षण करेंगे।
- (ii) ऐसे कार्यक्रम में कोई भी संशोधन महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के पश्चात किया जाएगा।
7. **हवाईअड्डा और विमान प्रचालकों द्वारा प्रचालन प्रारंभ** - कोई भी हवाईअड्डा प्रचालक या विमान प्रचालक, सुरक्षा जांच और सुरक्षा व्यवस्था, जैसा भी लागू हो, और महानिदेशक से सुरक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, हवाईअड्डे पर प्रचालन शुरू नहीं करेगा।

8. **हवाईअड्डे में संचालित संस्थाओं की सुरक्षा संस्वीकृति और सुरक्षा कार्यक्रम-** कोई भी संस्था, इस नियम और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार, महानिदेशक से सुरक्षा संस्वीकृति और उनके सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना, हवाईअड्डे पर प्रचालन शुरू नहीं करेगी, जैसा लागू हो, या जब तक कि महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में छूट न दी गई हो।

9. **सुरक्षा संस्वीकृति को निलंबित या रद्द करने की शक्ति-** महानिदेशक, संबंधित निकाय सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, इन नियमों के तहत दी गई किसी भी सुरक्षा संस्वीकृति के संबंध में शर्तों को निलंबित या रद्द या लागू कर सकता है, जहां उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा या नागर विमानन सुरक्षा के हित में इस तरह की कार्रवाई को आवश्यक मानने के लिए कोई उचित आधार है; या यदि संस्था ने सुरक्षा संस्वीकृति या इन नियमों के प्रावधान की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है या अनुपालन करने में विफल रहा है।

10. **सुरक्षा संस्वीकृति को निलंबित या रद्द करने की शक्ति-** महानिदेशक, संबंधित निकाय सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, इन नियमों के तहत दी गई किसी भी सुरक्षा संस्वीकृति के संबंध में शर्तों को निलंबित या रद्द या लागू कर सकता है, जहां उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा या नागर विमानन सुरक्षा के हित में इस तरह की कार्रवाई को आवश्यक मानने के लिए कोई उचित आधार है; या यदि संस्था ने सुरक्षा संस्वीकृति या इन नियमों के प्रावधान की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है या अनुपालन करने में विफल रहा है।

11. **सुरक्षा संस्वीकृति और सुरक्षा कार्यक्रम का नवीकरण:** प्रत्येक संस्था, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अपने अनुमोदित सुरक्षा संस्वीकृति और सुरक्षा कार्यक्रम के नवीकरण के लिए आवेदन करेगी।

12. **सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा:** प्रत्येक संस्था, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट समय-समय पर अपने वैध सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और महानिदेशक के अनुमोदन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगी।

13. **मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति:** प्रत्येक निकाय द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जिसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी या विमानन सुरक्षा अनुपालन अधिकारी, जैसा लागू हो, के रूप में नामित किया गया हो जिसके पास विमानन सुरक्षा में अपेक्षित योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव हो और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार उसे निर्दिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हों।

अध्याय IV - हवाईअड्डों पर सुरक्षा उपाय

14. **हवाईअड्डे पर निकायों का प्रचालन:** जैसा भी लागू हो, और महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, कोई भी हवाईअड्डा प्रचालक, सुरक्षा संस्वीकृति और सुरक्षा कार्यक्रम की मंजूरी प्राप्त किए बिना, किसी भी निकाय या व्यक्ति को हवाईअड्डे पर किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संस्थापित करने, संचालन करने, सेवाएं प्रदान करने, या स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा,

15. **हवाईअड्डे का नियोजन, डिजाइन और अभिविन्यास**

(i) विमानक्षेत्र का नियोजन, डिजाइन और अभिविन्यास राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उपबंधित विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

(क) यात्रियों, स्टाफ, यात्री सामान, कुरियर, तथा त्वरित पार्सल, डाक और खान-पान भंडार तथा प्रदाय के लिए अनुप्रयुक्त सुरक्षा नियंत्रण;

(ख) हवाईअड्डे की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण विशेषताओं का विवरण, जैसे आवासीय क्षेत्र या कोई अन्य संरचना या प्राकृतिक सीमा;

(ग) एयरसाइड, सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र, सुविधा और अन्य कमजोर हवाई क्षेत्र/बिंदुओं तक पहुंच की सुरक्षा और नियंत्रण;

(घ) सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, संचालन और रखरखाव; तथा

(ङ.) वास्तुकला और अवसंरचना से संबंधित आवश्यकताएं।

(ii) प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, महानिदेशक द्वारा किए गए सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन के अनुसार, नागर विमानन को सेवित करने वाले हवाईअड्डे पर सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित करेगा।

(iii) कोई भी हवाईअड्डा प्रचालक, महानिदेशक से लिखित अनुमोदन प्राप्त किए बिना, हवाईअड्डा या उसके किसी भाग पर हवाईअड्डा का निर्माण या नई सुविधाओं का निर्माण या मौजूदा डिजाइन और सुविधाओं में परिवर्तन नहीं करेगा।

16. **विमान क्षेत्र परिधि** - प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, विमान क्षेत्र के आसपास के चारों ओर 0.457 मीटर (डेड फुट) की ऊपर वाली कटीली तार युक्त 2.400 मीटर (ट) की परिधि का निर्माण करेगा:
परंतु महानिदेशक, किसी प्रकार के खतरे या किसी अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए परिधि दीवार के विनिर्देशों में वृद्धि कर सकेगा।
17. **गश्त और परिवेक्षण चौकियों के लिए प्रकाश तथा सड़क का उपबंध** - विमान क्षेत्र प्रचालका पर निम्नलिखित सुरक्षा व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात:
(क) परिधि और किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रकाश
(ख) सुरक्षा कार्मिकों के गश्त के लिए पेरीमीटर के साथ सभी मौसमों के लिए सड़क; तथा
(ग) सुरक्षा कार्मिकों के संप्रेषण तथा कमांड चौकियों की व्यवस्था :
परंतु महानिदेशक, सुरक्षा दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो उपयुक्त समझे, लिखित रूप में आदेश करेगा।
18. **हवाईअड्डा प्रचालकों के तहत सुविधाओं का संरक्षण**: प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, तकनीकी और रखरखाव, बिजली आपूर्ति, विद्युत उप-स्टेशन, नियंत्रण टावरों और हवाई यातायात सेवाओं और संचार सुविधाएं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य भवन सहित अपने अधीन सभी कमजोर क्षेत्रों / बिंदुओं और संचालन की पहचान, सीमांकन और सुरक्षा करेगा।
19. **अज्ञात सामान या संदिग्ध वस्तु की व्यवस्था** :हवाईअड्डा प्रचालक को-
(क) संदिग्ध या अज्ञात सामान, कार्गो, वाहन या विमान या किसी अन्य संदिग्ध वस्तु को रखने के लिए संरक्षित और अलग क्षेत्र का निर्माण और रखरखाव करना होगा; तथा
(ख) आकलन, पहचान, इसकी जांच और निपटान के लिए उचित उपाय करना होगा।
20. **आकस्मिक योजना** :
(क) हवाईअड्डा प्रचालक, महानिदेशक के अनुमोदन से, गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों से निपटने के लिए सुरक्षा चेतावनी के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए आकस्मिक योजनाओं और प्रावधानों का विकास, क्रियान्वयन और रखरखाव करेगा।
(ख) ऐसी योजनाओं का परीक्षण और समीक्षा, ऐसे नियमित अंतराल पर की जाएगी जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय V - विमानन सुरक्षा सेवा

21. **विमानन सुरक्षा समूह**:
(i) प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, इन नियमों के तहत सौंपे गए सुरक्षा कर्तव्यों के पालन के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित अनुसार सरकारी सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को नियुक्त करेगा।
(ii) उप-नियम (i) के तहत नियुक्त कर्मियों को विमानन सुरक्षा समूह और ऐसे समूह के प्रमुख को मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।
(iii) विमानन सुरक्षा समूह, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ समन्वय में काम करेगा।
(iv) हवाईअड्डा प्रचालक, विमानन सुरक्षा समूह को ऐसी सुविधा और सहायता प्रदान करेगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
(v) आपात स्थितियों में, महानिदेशक विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती में आवश्यक परिवर्तन का आदेश दे सकते हैं।
22. **मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य**: मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाहन करेगा, नामतः -
(i) अवैध हस्तक्षेप के कृत्यों से यात्रियों, चालक दल, ग्राउंड कर्मियों और अन्य हवाईअड्डा उपयोगकर्ताओं, विमान, हवाईअड्डे और संवेदनशील क्षेत्रों/बिंदुओं सहित संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा;

- (ii) हवाईअड्डे के प्रतिबंधित क्षेत्र में अभिगम नियंत्रण उपायों को लागू करना;
- (iii) परिधि की सुरक्षा;
- (iv) यात्रियों और उनके केबिन बैगेज की स्क्रीनिंग;
- (v) यात्रियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की उनके द्वारा ले जाई जा रही वस्तुओं के साथ स्क्रीनिंग;
- (vi) सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के साथ-साथ उनमें निहित वस्तुओं की स्क्रीनिंग;
- (vii) हवाई क्षेत्र के भीतर और आसपास निगरानी;
- (viii) कार पार्कों और आवाजाही क्षेत्र के निकट के स्थानों सहित सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- (ix) हवाईअड्डा परिसर में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना;
- (x) सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही की निगरानी करना;
- (xi) स्थानीय पुलिस और आसूचना एजेंसियों के साथ संपर्क; तथा
- (xii) महानिदेशक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

23. अनियंत्रित यात्री का अवरोहण (डीइंबार्केशन) : मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत विमानन सुरक्षा समूह का कोई अन्य अधिकारी, पायलट-इन-कमांड के लिखित अनुरोध पर, विमान, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जोखिम के आधार, किसी भी व्यक्ति को विमान से उतरने में उसकी सहायता करेगा

24. निजी सुरक्षा एजेंसी:

- (i) प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, खूनिजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को उतनी संख्या में नियुक्त करेगा, जिसे महानिदेशक द्वारा उन्हें सौंपे गए सुरक्षा कर्तव्यों को निभाने के लिए निर्धारित की जा सकती है।
- (ii) निजी सुरक्षा एजेंसी मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी के संचालन पर्यवेक्षण और निदेशन और हवाईअड्डे के निदेशक के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत काम करेगी।
- (iii) निजी सुरक्षा एजेंसी को विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

अध्याय VI - हवाईअड्डा पहुंच नियंत्रण

25. हवाईअड्डे में प्रवेश:

- (i) कोई भी व्यक्ति हवाई क्षेत्र में तब तक प्रवेश केवल तभी करेगा जब तक कि वह व्यक्ति-
 - (क) एक प्रामाणिक यात्री है; या
 - (ख) उसे वैध हवाईअड्डा प्रवेश परमिट जारी किया गया है; या
 - (ग) वैध आगंतुक प्रवेश टिकट जारी किया गया है; या
 - (घ) महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- (ii) कोई भी व्यक्ति संचलन क्षेत्र में तब तक कोई वाहन केवल तभी चलाएगा या चलाने का कारण बनेगा, जब तक कि ऐसा वाहन-
 - (क) वैध वाहन प्रवेश परमिट के साथ जारी किया गया; या
 - (ख) विशेष रूप से महानिदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गई है।
- (iii) खंड (i)(ख) और खंड (ii)(ख) के अनुसार सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र या संचलन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र में परिचालन आवश्यकता या अन्य वैध कारण के लिए प्रवेश करेगा।

26. वाहनों से संबंधित सुरक्षा उपाय: प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, उनके अधिकारक्षेत्र में निहित वस्तुओं के साथ, संचलन क्षेत्र तक पहुंच प्रदान किए जाने वाले वाहनों के लिए स्क्रीनिंग या अन्य उपयुक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए प्रावधान स्थापित करेगा।

27. हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट जारी करना: हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट, महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे।

28. **कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच:** प्रत्येक निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रारंभिक और आवधिक पृष्ठभूमि की जांच, महानिदेशक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
29. **हवाईअड्डा प्रवेश परमिट जारी करने और आगंतुक प्रवेश टिकट संबंधित प्रणालियों का संरक्षण और पहुंच नियंत्रण:** हवाईअड्डा प्रचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रयुक्त आगंतुक प्रवेश टिकट हमेशा सुरक्षित रखा जाए, और हवाई अड्डा प्रवेश परमिट और आगंतुक प्रवेश टिकट जारी करने के लिए उपयोग किए जा रहे क्षेत्रों और प्रणालियों को पहुंचनियंत्रण प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखा जाए।
30. **हवाईअड्डा प्रवेश परमिट को प्रदर्शित करना:** हवाईअड्डा प्रवेश परमिट धारक द्वारा, ड्यूटी के दौरान हर समय कमर के स्तर से ऊपर स्पष्ट रूप से इसे प्रदर्शित किया जाएगा।
31. **वाहन प्रवेश परमिट को प्रदर्शित करना :** वाहन प्रवेश परमिट धारक, इस तरह के परमिट को ऐसे वाहन के सामने वाले विंडस्क्रीन के बाईं ओर हर समय प्रदर्शित करेगा, जब वाहन संचलन क्षेत्र में हो।
32. **हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट को वापस करना:** हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट, जो भी लागू हो, को महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, महानिदेशक या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को, वापस किया जाएगा।
33. **स्टॉप लिस्ट का रखरखाव और उपलब्धता:** प्रवेश परमिट के अधिकृत जारीकर्ता, एक स्टॉप लिस्ट बनाए रखेंगे और प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक, महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इसे सभी पहुंच बिंदुओं और सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों में, विमानन सुरक्षा समूह को उपलब्ध कराएगा।
34. **हवाईअड्डा प्रवेश परमिट के हस्तांतरण का निषेध:** हवाईअड्डा प्रवेश परमिट तब तक हस्तांतरणीय नहीं है, जब तक कि महानिदेशक इस संबंध में द्वारा छूट नहीं दी जाती है।
35. **प्रवेश का आरक्षित अधिकार:** इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, हवाईअड्डा प्रचालक या महानिदेशक, यदि वह संतुष्ट है कि सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है-
(i) हवाईअड्डे में किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार कर सकत है; या
(ii) किसी भी व्यक्ति को हवाईअड्डा छोड़ने की अनुमति दे सकता है।
36. **हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध:** कोई भी व्यक्ति किसी भी हथियार, फायरआर्म, गोला-बारूद या विस्फोटक के साथ हवाईअड्डे या विमान में प्रवेश नहीं करेगा;
बशर्ते कि इस उप-नियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-
(i) अपने कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में अपने हथियार, अग्निास्त्र या गोला-बारूद ले जाने के लिए आवश्यक विमानन सुरक्षा समूह, सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के लिए; तथा
(ii) ऐसे प्रतिरूप हथियार, विस्फोटक, विस्फोटक उपकरण या कोई अन्य प्रतिरूप निषिद्ध वस्तु, जो विमानन सुरक्षा की प्रभावकारिता के परीक्षण के उद्देश्य से महानिदेशक द्वारा विधिवत अधिकृत है।
37. **सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश:** महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी वाहन, व्यक्ति और सामान या वस्तु या आपूर्ति या व्यापार के उपकरण या उपस्कर को सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय VII – आरोहण-पूर्व सुरक्षा जांच

38. **सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में प्रवेश:**
(i) सुरक्षा होल्ड क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने से पहले, विमानन सुरक्षा समूह, प्रत्येक व्यक्ति, बैगेज, सामान, आपूर्ति, स्टोर की स्क्रीनिंग करेगा, जब तक कि महानिदेशक द्वारा लिखित में छूट नहीं दी जाती है।
(ii) किसी भी वस्तु को सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो विमान के केबिन के लिए प्रतिबंधित है।

39. अवरोहणपूर्व सुरक्षा जांच:

(i) विमान पर चढ़ने से पहले, प्रत्येक मूल यात्री और अंतरण यात्री और उसके केबिन बैगेज, यदि कोई हो, की जांच विमानन सुरक्षा समूह के अधिकारी या महानिदेशक द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(ii) उप-नियम (i) के प्रावधान ट्रांजिट यात्रियों पर तभी लागू होंगे, जब वे विमान से उतरेंगे;

बशर्ते कि उप-नियम (i) के प्रावधान और यह नियम, ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें महानिदेशक द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(iii) विमानन सुरक्षा समूह और हवाईअड्डा प्रचालक, यात्री और उनके स्क्रीन किए गए केबिन बैगेज को स्क्रीनिंग के बिंदु से लेकर विमान में चढ़ने तक अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाएंगे।

40. कतिपय वस्तुओं के विमानवहन पर प्रतिबंध:

- (i) महानिदेशक एक लिखित आदेश के द्वारा व्यक्ति या यात्री और चालक दल के सदस्य के सामान में कुछ वस्तुओं के विमानवहन पर रोक लगा सकते हैं, जिसका उपयोग उनके मतानुसार, नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के लिए किए जाने की संभावना है।
- (ii) जहां कहीं स्क्रीनिंग के दौरान, निषिद्ध वस्तुओं का पता चलता है, तो इन नियमों या उस समय लागू कानून के किस अन्य प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय VIII – विमान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा उपाय

41. सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती.—कोई विमान प्रचालक केवल उन कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेगा जो नियमित कर्मचारी हैं, जिनकी पृष्ठभूमि की जांच प्रारंभ में ही और फिर उसके बाद समय-समय पर सफलतापूर्वक की गई है तथा जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट उचित प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और प्रमाणीकरण के बाद कार्यरत हैं।

बशर्ते कि विमान प्रचालक सुरक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए, एक भारतीय अनुसूचित वाहक या एक हवाईअड्डा प्रचालक के साथ एक अनुबंध में शामिल हो सकता है और ऐसे सुरक्षा कार्यों के लिए, भारतीय अनुसूचित वाहक या हवाईअड्डा प्रचालक, जैसा भी मामला हो, के नियमित कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जो नियम में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

42. विमान की सुरक्षा जांच तथा/अथवा सर्च:

- i. प्रत्येक विमान प्रचालक अपने विमान की महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार जांच तथा/अथवा सर्च निम्नानुसार संपादित करेगा-
 1. दिन के पहले प्रस्थान से पहले, सभी रखरखाव और सफाई कर्मचारियों के खाली होने के बाद और यात्रियों के चढ़ने से पहले।
 2. प्रत्येक फ्लाइट के दौरान यात्रियों की बोर्डिंग से पहले तथा उतरने के बाद; एवं
 3. जब कभी भी महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया जाए।
- ii. भारत से/को प्रचालन करने वाला प्रत्येक विमान प्रचालक, उड़ान से उतरने वाले यात्रियों द्वारा छोड़ी गई किसी भी वस्तु और उसके निपटान को सुनिश्चित करेगा।

43. विमान में पहुँच नियंत्रण:

- i. विमान प्रचालक विमान तक पहुँच को नियंत्रित करेगा और सुरक्षा जांच अथवा सर्च से, प्रस्थान तक निगरानी बनाए रखेगा।
- ii. विमान प्रचालक निगरानी तथा निम्न के साथ गैर प्रचालनिक विमान की सुरक्षा करेगा, -
 - क केबिन का दरवाजा बंद करके;
 - ख एयरोब्रिजेज और अधर सीढियों को सुरक्षित करके, वापस लाकर और पीछे करके; और
 - ग हस्तक्षेप सुस्पष्ट सुरक्षा मुद्रांकित पैनलों, कंपार्टमेंटों तथा दरवाजों; तथा
 - घ समय-समय पर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के द्वारा।

44. कॉकपिट दरवाजे तथा फ्लाइट-रू कंपार्टमेंट की सुरक्षा तथा पहुँच नियंत्रण:प्रत्येक विमान प्रचालक, -

- i. उड़ान की सभी स्थितियों में विमान के कॉकपिट के दरवाजे बंद रखेगा, जब तक कि इन्हें प्रचालन कारणों के लिए खोला जाना अपेक्षित न हो,
- ii. केबिन कर्मीदल और उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल के बीच संचार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण; और कॉकपिट की पहुँच नियंत्रण का उत्तरदायित्व, समादेशक पायलट को सौंपेगा।

45. उड़ान में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती – (1)

- i. विमान प्रचालक, किसी यात्री विमान में इतनी संख्या में उड़ान सुरक्षा अधिकारी को ले जा सकेंगे जितने महानिदेशक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- ii. विमान प्रचालक समादेशक पायलट को उड़ान में सुरक्षा अधिकारियों की संख्या तथा उनकी सीट स्थिति के बारे में घोषणा करेंगे।

46. धारित यात्री सामान का सुरक्षा नियंत्रण:विमान प्रचालक अथवा हवाईअड्डा प्रचालक, धारित सामान को प्रवेश के प्वाइंट से लेकर उस विमान के प्रस्थान तक जिसमें इसे ले जाया जाना है, इस सामान की स्क्रीनिंग तथा उसकी अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षा, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

47. धारित सामान की पहचान तथा पुनर्मिलाप:एक विमान प्रचालक धारित सामान की पहचान और पुनर्मिलाप इस तरह से करेगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा लिखित में एक आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

48. अंतरित यात्री सामान के लिए सुरक्षा नियंत्रण:विमान में लोड करने से पहले विमान प्रचालक अंतरित सामान की स्क्रीनिंग करेगा:-

परंतु घरेलू उड़ानों के लिए प्रारंभ के बिन्दु पर धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी और तत्पश्चात् उसे प्रारंभिक विमान क्षेत्र से प्रस्थानकर्ता विमान में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप से सुरक्षित करके स्क्रीनिंग के अध्यक्षीन न रहते हुए अंतरित विमान क्षेत्र को ले जाया जाएगा।

49. विमान में कैदियों का वहन:विमान प्रचालक किसी कैदी को ऐसी प्रक्रिया से वहन करेगा जो कि महानिदेशक द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण:“कैदी” का अर्थ एक व्यक्ति जो किसी भी जेल में बंद है तथा इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसे किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।

50. कार्गो, डाक, खान-पान की आपूर्ति, खान-पान भंडार और अन्य भंडार का वहन:कोई भी विमान प्रचालक जहाज पर किसी भी कार्गो, डाक, खान-पान आपूर्ति, खान-पान भंडार और अन्य भंडार और आपूर्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि इस संबंध में महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया से उपयुक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू नहीं किया गया हो।

51. विमान का निरोध:महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी विमान का निरोध कर सकेगा, यदि उसकी राय में:

- i. विमान पर उड़ान में अनधिकृत शस्त्र, विस्फोटक या अन्य विध्वंसक युक्तियाँ हों जिनसे उस विमान की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो; या
- ii. विमान पर उड़ान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनधिकृत प्रक्रिया से विमान में प्रवेश प्राप्त किया है या जिससे नागर विमान प्रचालकों के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप होने की संभावना है; या
- iii. इन नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरोध आवश्यक है।

अध्याय IX – कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक**52. कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक:**

- i. किसी भी विमान पर ले जाए जाने वाले किसी भी कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो, डाक या कूरियर बैग, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित विमान प्रचालक के नियमित कर्मचारियों या विनियमित एजेंट या ज्ञात प्रेषक द्वारा उचित सुरक्षा नियंत्रण के अधीन होगा।

- ii. किसी भी कार्गो को बिना उचित सुरक्षा नियंत्रण जो कि भौतिक जांच तथा एक्स-रे स्क्रीनिंग हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को लागू किए बगैर विमान में लोड नहीं किया जाएगा;

परंतु महानिदेशक लिखित आदेश द्वारा किसी भी कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो अथवा डाक को इस नियम के प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

53. विमान प्रचालक द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए सुरक्षा नियंत्रण:

- i. अपने विमान पर परिवहन के लिए एक विनियमित एजेंट या ज्ञात प्रेषक से खेप स्वीकार करने वाला विमान प्रचालक-
1. महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार इस प्रकार की खेप का आकस्मिक निरीक्षण करेगा;
 2. यह सुनिश्चित करेगा कि महानिदेशक बीसीएस द्वारा निर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले कार्गो और डाक पर इससे जुड़े खतरे को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं;
 3. इस तरह के खेप की, अपने पास लेने के बाद से, गैरकानूनी हस्तक्षेप के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जब तक कि इसे विमान में नहीं रखा गया हो।
- ii. एक विमान प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि-
1. नागर विमानन के खिलाफ गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों को रोकने के लिए उस खेप पर, एक प्रेषक या कंसाइनर जो कि एक विनियमित एजेंट या ज्ञात प्रेषक नहीं है, के किसी अधिकृत प्रतिनिधि से स्वीकार किया जाता है पर, सुरक्षा नियंत्रण को लागू करना,
 2. यह कि अंतरित कार्गो तथा डाक, विमान में लोड किए जाने से पहले महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार उचित सुरक्षा नियंत्रण के अधीन हैं।

54 कतिपय सामानों के वहन का प्रतिबंध:

- i. महानिदेशक, लिखित आदेश द्वारा कतिपय सामानों को कार्गो अथवा कूरियर बैगों के माध्यम से वहन को प्रतिबंध कर सकेगा।
- ii. निषिद्ध वस्तुओं वाली खेप को तब तक विमान में लोड नहीं किया जाएगा जब तक कि महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसी अनुमति में निर्दिष्ट किया जा सकता है, अनुमति नहीं दी जाती है।

55 कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए नियमित एजेंट द्वारा सुरक्षा नियंत्रण:

- i. विमान प्रचालक, विमान द्वारा परिवहन किए जाने वाले कार्गो, कूरियर तथा डाक के लिए नियमित एजेंट को सुरक्षा नियंत्रण लागू किए जाने के लिए लगा सकता है जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार कार्य करेगा।
- ii. नियमित एजेंट सुनिश्चित करेगा—
1. इस तरह की खेप को स्वीकार करने से लेकर जब तक इसे विमान प्रचालक के सुरक्षा कर्मचारियों या सुरक्षा सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक गैरकानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ खेप की सुरक्षा करना;
 2. उसके भवनों, परिसरों, परिवहन सुविधाओं तथा कार्गो गोदामों की सुरक्षा;
 3. यह कि सभी खेप के सभी संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों का रखरखाव किया गया है;
 4. सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए नियमित एजेंट द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, भर्ती एवं प्रशिक्षण;
 5. कि उच्च जोखिम वाले कार्गो और डाक पर अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, लागू किए गए हैं ताकि इससे जुड़े खतरे को कम किया जा सके।

अध्याय X-खान-पान आपूर्ति तथा भंडारण

56. विमान प्रचालक द्वारा खान-पान आपूर्ति तथा भंडार की स्वीकृति: एक विमान प्रचालक विमान द्वारा परिवहन के लिए खान-पान प्रतिष्ठान से किसी भी खान-पान आपूर्ति और भंडार को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि खान-पान प्रतिष्ठान के सुरक्षा कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

57. खानपान प्रतिष्ठान का उत्तरदायित्व: प्रत्येक खानपान प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि-

- अपने नियमित कर्मचारियों के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान पर प्राप्त किए गए खानपान भंडार और आपूर्ति की सुरक्षा;
- इसके भवनों, परिसरों और परिवहन सुविधाओं की सुरक्षा अपने नियमित कर्मचारियों के माध्यम से या ऐसी एजेंसी द्वारा जो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हो;

58 अन्य भंडारों का सुरक्षा नियंत्रण: कोई भी विमान प्रचालक उपयुक्त सुरक्षा नियंत्रणों को लागू किए बिना विमान पर उपयोग के लिए किसी भी वस्तु को विमान पर लोड नहीं करेगा।

अध्याय XI – सुरक्षा दुर्घटना/घटनाएं

59. सुरक्षा दुर्घटना अथवा घटना की रिपोर्टिंग: प्रत्येक कंपनी महानिदेशक द्वारा निर्दिष्टानुसार, सुरक्षा दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट तुरंत महानिदेशक को देगी।

60. सुरक्षा दुर्घटना या घटनाओं की सुरक्षा जांच:

- महानिदेशक किसी भी सुरक्षा घटना या घटना जो उसे सूचित की गई हो या जो उसके संज्ञान में आई हो, की सुरक्षा जांच का आदेश दे सकता है और एक अधिकारी जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का ना हो, को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- जांच अधिकारी सभी संबंधितों को सुनवाई का अवसर देकर जांच करेगा और महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा।

61. जांच अधिकारी की शक्तियां: जांच के प्रयोजन के लिए, किसी जांच अधिकारी को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी -

- सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति और कंपनी की उपस्थिति की अपेक्षा;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन की सही प्रकृति की बावत उससे घोषणा करवाने तथा उस पर हस्ताक्षर करवाने की अपेक्षा;
- किसी भी आवश्यक प्रमाण पत्र, पुस्तक, मैनुअल, रिकॉर्ड, सूची, नोटिस, अन्य दस्तावेज और लेख को प्रस्तुत करने के लिए कहना; तथा
- किसी विमान अथवा स्थान तक पहुँच और जांच का अधिकार।

अध्याय XII- साइबर खतरों से संबंधित उपाय

62. महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं डेटा की पहचान और जोखिम मूल्यांकन: प्रत्येक कंपनी अपनी महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नागर विमानन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की पहचान करेगी और जोखिम मूल्यांकन और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार, इसे अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन और उपयोग से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को विकसित और कार्यान्वित करेगी।

63. महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा के लिए सुरक्षा उपाय: प्रत्येक कंपनी उचित रूप से चयनित, भर्ती और उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली और डेटा हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपेगी।

64. साइबर हमले का पता लगाना और साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना: प्रत्येक कंपनी अपनी महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा तक अनधिकृत पहुंच का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करेगी और एक साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना भी स्थापित करेगी जिसमें महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट संचालन निरंतरता योजना शामिल होगी।

अध्याय XIII—सूचना एवं रिकार्ड की सुरक्षा

65. सुरक्षा विमानन संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा:सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उनका सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी और इसकी सामग्री, अनधिकृत पहुंच, संशोधन और प्रकटीकरण से सुरक्षित हैं।

66.सुरक्षा विमानन संवेदनशील सूचनाओं का अनधिकृत प्रकटीकरण:कोई भी व्यक्ति किसी भी संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी जिसे उसके द्वारा, अपने सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के दौरान हासिल किया गया है, का खुलासा किसी व्यक्ति को तब तक नहीं करेगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, अधिनियम के तहत इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो या इन नियमों या केंद्र सरकार या इसकी ओर से अधिकृत किसी अधिकारी या कानून की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक न हो।

67. झूठे विवरण, इद्राज अथवा अप्राधिकृत पुनःप्रस्तुतीकरण:कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा अथवा उसका कारण नहीं बनेगा-

- i. कपटपूर्ण अथवा जानबूझकर दिया गया झूठा बयान अथवा महानिदेशक को प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज में दी गई तात्विक जानकारी में किया गया परिवर्तन;
- ii. इस नियम के अनुपालन को दर्शाने के लिए, बनाए गए या उपयोग किए गए किसी भी रिकॉर्ड या रिपोर्ट में कपटपूर्ण या जानबूझकर गलत प्रविष्टि या किसी भी तात्विक जानकारी में परिवर्तन;
- iii. किसी रिपोर्ट, रिकॉर्ड, दस्तावेज, सुरक्षा निकासी, सुरक्षा कार्यक्रम, हवाईअड्डा प्रवेश परमिट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या महानिदेशक अथवा उनकी ओर से किसी अधिकारी द्वारा दी गई किसी अन्य अनुमति का अनधिकृत पुनः प्रस्तुतीकरण या परिवर्तन या जालसाजी।

68. अभिलेखों का अवधारण:प्रत्येक कंपनी दस्तावेज (दस्तावेजों), डेटा या सूचना के रिकॉर्ड को ऐसे समय तक और निर्दिष्ट तरीके से जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, संधारित करेगी।

अध्याय XIV – सामान्य

69. सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा सुरक्षा जांच:

- i. कोई भी व्यक्ति, जिसे महानिदेशक द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम तथा इन नियमों के प्रावधानों के साथ, किसी भी समय, किसी भी विमान अथवा स्थान पर जहाँ पर सुविधाओं, सेवाओं, उपकरणों, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण आवश्यक है, प्रवेश कर सकता है।
- ii. कोई भी कंपनी, इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर अनुरोध के अनुसार रिकार्ड, डेटा तथा अन्य सभी सूचनाएं प्रस्तुत करेगी।

70. कंपनियों द्वारा आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण:प्रत्येक कंपनी राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुरूप एक लिखित आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करेगी, कार्यान्वित करेगी और इसे बनाए रखेगी।

71. कर्मचारियों का सुरक्षा प्रशिक्षण:प्रत्येक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा सुरक्षा या गैर-सुरक्षा कर्तव्यों में लगाए गए कर्मचारी, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण में प्रशिक्षित और निपुण हैं।

72. स्क्रीनर का प्रमाणन एवं क्षमता:कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को स्क्रीनिंग कार्यों के लिए तब तक तैनात नहीं करेगी जब तक कि वह राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के माध्यम से उचित रूप से चयनित, प्रशिक्षित और आवश्यक दक्षताओं को धारित नहीं करता है।

73. सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण :

(i) कोई भी संस्था किसी ऐसे सुरक्षा उपकरण को स्थापित और संचालित नहीं करेगी जो महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम विनिर्देश मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(ii) प्रत्येक इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि विमानन सुरक्षा उद्देश्य हेतु उनके द्वारा नियोजित सुरक्षा उपकरण परिचालन की स्थिति में बनाए रखे गए हैं।

74. महानिदेशक द्वारा निदेश: महानिदेशक निर्देश जारी कर सकते हैं। तथापि, वे निर्देश विमान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) या नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित इन नियमों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए।

75. छूट की सामान्य शक्ति: महानिदेशक, किसी सामान्य या लिखित में विशेष आदेश द्वारा, इन नियमों के तहत जारी किए गए आदेशों के संचालन से किसी भी विमान या विमान के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, पूर्ण या आंशिक रूप से छूट दे सकते हैं।

अध्याय XV- अपील, अपराधों का संयुक्तीकरण और दंड**76. अपील:**

(क) कोई भी व्यक्ति, किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में पारित आदेश से व्यथित होने पर, उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है जो आदेश देने वाले अधिकारी से श्रेणी में अगले उच्चतर स्थान पर हो, ऐसा वह उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर कर सकता है।

(ख) अपील अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, वह पारित आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के मामले में, अपील, नागर विमानन मामलों से निपटने वाले मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के पास होगी;

(ख) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 5ए के तहत जारी आदेश, इस नियम के तहत अपील योग्य नहीं होगा।

77. अपराध और कंपाउंडिंग-

(i) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10 की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने इन नियमों की पहली अनुसूची की तालिका 1 में निर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो वह उस अनुसूची के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट दंड के अनुसार दंड का पात्र होगा।

(ii) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 12ए के प्रावधानों के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11ए और धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध और इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, महा-निदेशक द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 4बी की उप-धारा (4) के तहत उक्त अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशिष्ट रूप से सशक्त हो।

78. दंड:

(i) कोई भी व्यक्ति, जिसने इन नियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, इस तरह की अनुसूची में निर्धारित सीमा तक और विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10ए के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) उक्त अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसा भी मामला हो, नामित अधिकारियों या अपीलीय अधिकारी द्वारा दंड का निर्णय किया जाएगा।

[मि. सं. ए वी 13024/11/2022-ए.एस]

प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक

प्रथम अनुसूची
(नियम 77 देखें)

अपराधों का दण्ड और कम्पाउंडिंग

1. विमान (सुरक्षा) नियम, 202 के तहत दंडनीय अपराध... दो साल से अधिक की अवधि के कारावास के साथ या एक करोड़/दस लाख रुपये से अधिक के जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ और उसके कम्पाउंडिंग के लिए राशि:

तालिका1

क्रम सं०	अपराध की प्रकृति	संबंधित नियम	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के कम्पाउंडिंग के लिए राशि (रुपयों में)
1.	हवाईअड्डा और विमान प्रचालकों के सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में नियम 6 का अनुपालन न करना	नियम 6	25 लाख
2.	हवाईअड्डा और विमान प्रचालकों द्वारा प्रचालन शुरू करने के संबंध में नियम 7 का पालन न करना	नियम 7	25 लाख
3.	एयरोड्रम में संचालन करने वाली संस्थाओं की सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में नियम 8 का पालन न करना	नियम 8	15 लाख
4.	सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम की समाप्ति से पहले संस्थाओं द्वारा सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम के नवीनीकरण के संबंध में नियम 11 का पालन न करना	नियम 11	5 लाख
5.	सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम के बिना हवाईअड्डे पर संस्थाओं के संचालन के संबंध में नियम 14 का पालन न करना	नियम 14	15 लाख
6.	विमानक्षेत्र सुरक्षा की योजना, रूपरेखा और स्थिति के संबंध में नियम 15 का अनुपालन न करना	नियम 15	25 लाख
7.	हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा आकस्मिक योजना के संबंध में नियम 20 का अनुपालन न करना	नियम 20	15 लाख
8.	हवाईअड्डे में प्रवेश के प्रावधानों का पालन न करना	नियम 25 (i) और (ii)	1 लाख
9.	हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट जारी करने के संबंध में नियम 27 का उल्लंघन	नियम 27	5 लाख
10.	हवाई अड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट के समर्पण के संबंध में निर्देश का पालन न करना	नियम 32	1 लाख
11.	हवाईअड्डा प्रवेश परमिट के अंतरण के निषेध के संबंध में नियम 34 का उल्लंघन	नियम 34	1 लाख

12.	नियम 35 (ii) के तहत प्रवेश के आरक्षित अधिकार से संबंधित निर्देश का पालन न करना	नियम 35 (ii)	1 लाख
13.	हथियार या विस्फोटक ले जाने के निषेध के संबंध में नियम 36 का उल्लंघन	नियम 36	नॉन-कंपाउंडिंग
14.	सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के प्रावधान का उल्लंघन	नियम 37	5 लाख
15.	सुरक्षा होल्ड एरिया में प्रवेश के संबंध में नियम 38 का उल्लंघन	नियम 38	5 लाख
16.	विमान में तैनात सुरक्षा अधिकारी को ले जाने के निर्देशों का पालन न करना	नियम 45 (i)	नॉन-कंपाउंडिंग
17.	नियम 51 के तहत जारी विमान को रोके जाने के निर्देश का पालन न करना	नियम 51	नॉन-कंपाउंडिंग

2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 10, 11, 11ए और धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए राशि:

तालिका 2

क्रम सं०	अपराध और प्रासंगिक धारा	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के कंपाउंडिंग के लिए राशि (रुपयों में)
1.	धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध (हथियारों और विस्फोटकों की दुलाई से संबंधित अपराध को छोड़कर)	25 लाख
2.	धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध	25 लाख
3.	धारा 11ए के तहत दंडनीय अपराध	25 लाख
4.	धारा 12 के तहत अपराधों के लिए उकसाने और प्रयास किए गए अपराधों के लिए दंड	ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित राशि

3. जहां ऐसा अपराध संगठन द्वारा किया गया है, वहाँ अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए राशि निम्नानुसार होगी: -

तालिका 3

उल्लंघन करने वाला संगठन	कार्मिकों की संख्या	अपराध के कंपाउंडिंग के लिए राशि (रुपये में)
संगठन (छोटा)	50 कर्मचारियों तक	पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रदान की गई राशि का 200 प्रतिशत, जैसा लागू हो
संगठन (मध्यम)	50 से अधिक और अधिकतम 250 कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रदान की गई राशि का 300 प्रतिशत, जैसा लागू हो

संगठन (बड़ा)	250 से अधिक कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रदान की गई राशि का 400 प्रतिशत, जैसा लागू हो
--------------	----------------------	---

नोट:- (1) "व्यक्ति" का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति।

(2) "संगठन" का अर्थ है एक निगमित निकाय या व्यक्तियों का संघ, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" का अर्थ संगठन द्वारा नियुक्त, नियोजित या नियुक्त व्यक्ति है, चाहे वह संविदात्मक, अस्थायी या स्थायी हो।

4. अपराधों के कंपाउंडिंग की प्रक्रिया। -

- क. किसी अपराध की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा महानिदेशक या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी भी अधिकारी को एक हजार रुपये की फीस के साथ फॉर्म ए में निर्धारित तरीके से किया जाएगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया है।
- ख. कंपाउंडिंग के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अधिकारी जमा किए गए दस्तावेजों और आवेदन में किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।
- ग. ऐसा अधिकारी आवेदक से किसी भी जानकारी, रिकॉर्ड या किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है, अगर उसे कंपाउंडिंग कार्यवाही के लिए प्रासंगिक माना जाता है और यदि उल्लंघनकर्ता, निर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त जानकारी या मांगे गए दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है, तो कंपाउंडिंग के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- घ. ऐसा अधिकारी मामले के सभी संबंधितों को कार्यवाही में भाग लेने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
- ङ. कंपाउंडिंग कार्यवाही के दौरान, ऐसा अधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, पैरा 1, 2 और पैराग्राफ 3 की तालिका के अनुसार अपराध के कंपाउंडिंग के लिए राशि का निर्धारण करेगा और जहां ऐसे अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय तथा इस प्रकार निर्धारित की गई राशि आवेदक को स्वीकार्य नहीं है तो आवेदक उसे लिखित रूप में अधिकारी को तीन दिनों के भीतर या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- च. आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत करने या इतने उचित समय में जमा न करने के बाद, कंपाउंडिंग कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और मामले को विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और अधिकारी इन कार्यवाही के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- छ. जिस राशि के लिए उल्लंघन को कंपाउंड किया गया है, उसका भुगतान कंपाउंडिंग के निर्णय की तारीख के तीस दिनों के भीतर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
- ज. यदि कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर कंपाउंडिंग के लिए राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने विमान अधिनियम, 1934 और इन नियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन नहीं किया है।
- झ. अपराधों के कंपाउंडिंग की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी और यह आवेदन की तारीख से साठ दिनों के भीतर होगी और 60 दिनों की इस अवधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से तथा असाधारण परिस्थितियों में महानिदेशक द्वारा नब्बे दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

फॉर्म ए (नियम 77 देखें) अपराध के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन	
1.	आवेदक (आवेदकों) के नाम
2.	पता

3.	ईमेल	
4.	फोन नंबर	
5.	प्राधिकरण, जिसके समक्ष मामला लंबित है	
6.	अनुभागों या नियमों का उल्लंघन	
7.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
8.	मामले से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
9.	आवेदक की प्रार्थना	
10.	शुल्क और लेनदेन विवरण	
11.	अनुलग्नक, यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं _____, आवेदक, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

दूसरी अनुसूची (नियम 78 देखें)

दंड

तालिका 1

1. उल्लंघन की गंभीरता के स्तर और उसके दंड का वर्गीकरण: -

क्रम सं०	गंभीरता का स्तर	व्यक्ति	संगठन (छोटा)	संगठन (मध्यम)	संगठन (बड़ा)
			50 कार्मिकों तक	50 से अधिक और 250 कार्मिकों तक	250 कार्मिकों से अधिक
1.	स्तर -1	दस हज़ार	एक लाख	पाँच लाख	दस लाख
2.	स्तर -2	पंद्रह हज़ार	पाँच लाख	दस लाख	बीस लाख
3.	स्तर -3	पच्चीस हज़ार	दस लाख	बीस लाख	तीस लाख
4.	स्तर -4	पचास हज़ार	बीस लाख	तीस लाख	पचास लाख
5.	स्तर-5	पचहत्तर हज़ार	तीस लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख
6.	स्तर-6	एक लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख	एक करोड़

नोट: - (1) "व्यक्ति" का तात्पर्य प्रकृतिक व्यक्ति है।

(2) "संगठन" का तात्पर्य सामाजिक निकाय अथवा व्यक्तियों का संघ है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जिसे संगठन द्वारा समझौते के तहत, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

2. नामित अधिकारियों या अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा दंडराशि के निर्धारण हेतु नियमों का उल्लंघन एवं उसकी गंभीरता का स्तर।

तालिका 2

क्र. सं.	उल्लंघन की प्रकृति	संबंधित नियम	उल्लंघन/ अतिक्रमण/ अनुपालन की गंभीरता का स्तर
1.	हवाईअड्डा सुरक्षा समिति का गठनन करना	नियम 5	स्तर-1
2.	संस्थाओं द्वारा सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा न करना	नियम 12	स्तर-1
3.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न करना	नियम 13	स्तर-2
4.	एयरोड्रोम परिधि के संबंध में नियम 16 का उल्लंघन	नियम 16	स्तर- 2
5.	हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा लाइटिंग, पेट्रोलिंग के लिए सड़क एवं ओब्सर्वेशन पोस्ट के प्रावधान के संबंध में नियम 17 का उल्लंघन	नियम 17	स्तर-2
6.	एयरोड्रोम प्रचालक के स्वामित्व वाली सुविधाओं की सुरक्षा के संबंध में नियम 18 का उल्लंघन	नियम 18	स्तर-2
7.	अज्ञात सामान अथवा संदिग्ध वस्तु को संभालने के संबंध में नियम 19 का उल्लंघन	नियम 19	स्तर-2
8.	विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती तथा हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा उन्हें सहायता एवं सुविधा प्रदान करने के संबंध में नियम 21(i) तथा (iv) का उल्लंघन	नियम 21(i) तथा (iv)	स्तर-2
9.	निजी सुरक्षा एजेंसी की तैनाती के संबंध में नियम 24 का उल्लंघन	नियम 24	स्तर-2
10.	एयरोड्रोम में प्रवेश के संबंध में नियम 25(iii) का उल्लंघन	नियम 25 (iii)	स्तर-1
11.	वाहनों से संबंधित सुरक्षा उपायों का गैर-अनुपालन	नियम 26	स्तर-1
12.	कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच के संबंध में नियम 28 का उल्लंघन	नियम 28	स्तर-2
13.	एयरोड्रोम प्रवेश परमिट तथा आगंतुक प्रवेश टिकट संबंधी प्रणाली के संरक्षण एवं अभिगम नियंत्रण के संबंध में नियम 29 का उल्लंघन	नियम 29	स्तर-2
14.	एयरोड्रोम प्रवेश परमिट प्रस्तुत करने के संबंध में गैर-अनुपालन	नियम 30	स्तर-1
15.	वाहन प्रवेश परमिट प्रस्तुत करने के संबंध में गैर-अनुपालन	नियम 31	स्तर-1

16.	हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा स्टॉप-लिस्ट के अनुरक्षण तथा उपलब्धता के संबंध में गैर-अनुपालन	नियम 33	स्तर-2
17.	विमान प्रचालक द्वारा विमान पर चढ़ने से पूर्व सुरक्षा जांच के संबंध में नियम 39(iii) का गैर-अनुपालन	नियम 39 (iii)	स्तर-2
18.	कुछ वस्तुओं को साथ ले जाने पर प्रतिबंध के संबंध में नियम 40(ii) का उल्लंघन	नियम 40 (ii)	स्तर-5
19.	विमान प्रचालक द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में नियम 41 का उल्लंघन	नियम 41	स्तर-4
20.	सुरक्षा जांच एवं/अथवा विमान की तलाशी का गैर-अनुपालन	नियम 42	स्तर-2
21.	विमान प्रचालक द्वारा विमान तक पहुँचने के अभिगम नियंत्रण का गैर-अनुपालन	नियम 43	स्तर-4
22.	कॉकपिट के द्वार तथा फ्लाइट-कू कम्पार्टमेंट के संरक्षण एवं अभिगम नियंत्रण का गैर-अनुपालन	नियम 44	स्तर-6
23.	होल्ड बैगेज के लिए सुरक्षा नियंत्रण का गैर-अनुपालन	नियम 46	स्तर-5
24.	होल्ड बैगेज की पहचान तथा सुलह का गैर-अनुपालन	नियम 47	स्तर-4
25.	ट्रांसफर बैगेज के लिए सुरक्षा उपायों का गैर-अनुपालन	नियम 48	स्तर-3
26.	विमान में कैदियों को ले जाने पर नियम 49 का उल्लंघन	नियम 49	स्तर-4
27.	कार्गो, मेल, केटरिंग सप्लाय, केटरिंग भंडार तथा अन्य भंडार को ले जाने पर नियम 50 का उल्लंघन	नियम 50	स्तर-4
28.	कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा मेल के संबंध में नियम 52 (i) तथा (ii) का गैर-अनुपालन	नियम 52 (i) तथा (ii)	स्तर-1
29.	विमान प्रचालक द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा मेल के लिए सुरक्षा नियंत्रण के संबंध में नियम 53 (i) तथा (ii) का उल्लंघन	नियम 53 (i) तथा (ii)	स्तर-1
30.	कतिपय सामान को ले जाने पर प्रतिबंध के संबंध में नियम 54 का उल्लंघन	नियम 54	स्तर-5
31.	विनियमित एजेंट द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा मेल के लिए सुरक्षा नियंत्रण के संबंध में नियम 55 का उल्लंघन	नियम 55	स्तर-4
32.	विमान प्रचालक द्वारा केटरिंग सप्लाय तथा भंडार की स्वीकृति के संबंध में नियम 56 का उल्लंघन	नियम 56	स्तर-2
33.	केटरिंग प्रतिष्ठान की जिम्मेदारियों के संबंध में नियम 57 का उल्लंघन	नियम 57	स्तर-2
34.	अन्य भंडारों के सुरक्षा नियंत्रण के संबंध में नियम 58 का उल्लंघन	नियम 58	स्तर-2
35.	सुरक्षा दुर्घटना अथवा घटना की सूचना देने के संबंध में नियम 59 का उल्लंघन	नियम 59	स्तर-2

36.	नियम 61 के तहत जांच अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने में जारी निदेशों का गैर-अनुपालन	नियम 61	स्तर-1
37.	महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं डेटा की पहचान, जोखिम मूल्यांकन तथा सुरक्षा के संबंध में नियम 62 का उल्लंघन	नियम 62	स्तर-1
38.	महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं डेटा के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में नियम 63 का उल्लंघन	नियम 63	स्तर-1
39.	साइबर हमले का पता लगाने तथा साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना के संबंध में नियम 64 का उल्लंघन	नियम 64	स्तर-1
40.	सुरक्षा संवेदनशील जानकारी के संरक्षण के संबंध में नियम 65 का उल्लंघन	नियम 65	स्तर-1
41.	सुरक्षा संवेदनशील जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण के संबंध में नियम 66 का उल्लंघन	नियम 66	स्तर-2
42.	झूठे बयानों, प्रविष्टियों अथवा अनधिकृत पुनरुत्पादन के संबंध में नियम 67 का उल्लंघन	नियम 67	स्तर-1
43.	अभिलेखों के प्रतिधारण के संबंध में नियम 68 का उल्लंघन	नियम 68	स्तर-1
44.	सुरक्षा ऑडिट तथा सुरक्षा निरीक्षण के लिए अधिकृत व्यक्ति तक जाने पर मनाही	नियम 69(i)	स्तर-1
45.	सुरक्षा ऑडिट तथा सुरक्षा निरीक्षण के संबंध में नियम 69(ii) का उल्लंघन	नियम 69(ii)	स्तर-1
46.	संस्थाओं द्वारा आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में नियम 70 का उल्लंघन	नियम 70	स्तर-1
47.	कर्मचारियों के सुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में नियम 71 का उल्लंघन	नियम 71	स्तर-1
48.	स्क्रिनर के प्रमाणन तथा योग्यता के संबंध में नियम 72 का उल्लंघन	नियम 72	स्तर-1
49.	सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव के संबंध में नियम 73 का उल्लंघन	नियम 73	स्तर-2
50.	नियम 74 के तहत जारी निदेशों का गैर-अनुपालन	नियम 74	स्तर-6 तक। यदि किसी नियम में समान उल्लंघन के लिए पहले से ही दंड का प्रावधान किया गया है, तो उस नियम के लिए विनिर्दिष्ट दंड मान्य होगा।

3. नामित अधिकारियों द्वारा जुर्माने के अधिनिर्णय की प्रक्रिया :-

(क) नामित अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर, कि किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त पैरा 2 के अंतर्गत तालिका 2 में दिये गए किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, वे, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत, लिखित आदेश द्वारा, क्रमशः पैरा 1 एवं 2 के अंतर्गत तालिका 1 एवं 2 के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, उल्लंघन किए गए नियमों के प्रावधान तथा माँग सूचना सहित ऐसा जुर्माना लागू करने के कारणों का उल्लेख हो।

(ख) यदि नामित अधिकारी को यह सूचना प्राप्त हो कि वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 10-ख के अनुसरण में किसी समान नियम के उल्लंघन करने पर समान कारवाई के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध मंजूरी, पर्मिट, प्रमाण-पत्र या अनुमोदन के निलंबन अथवा रद्दीकरण हेतु, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही शुरू की गई है, तो वह अधिकारी उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना लागू नहीं करेगा।

(ग) नामित अधिकारी द्वारा, माँग सूचना के साथ पारित दंड आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को सेवा के मान्यता-प्राप्त माध्यम द्वारा भेजी जाएगी।

(घ) खंड (क) के तहत जारी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति, नामित अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, महा निदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक हजार रुपए की शुल्क के साथ फॉर्म ख के माध्यम से अपील कर सकता है।

(ङ.) अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, नामित अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने हेतु मौखिक आदेश पारित कर सकता है।

(च) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा संबंधित नामित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(छ) नामित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेश के प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, आदेश में लागू किए गए जुर्माने की राशि के लिए उल्लंघनकर्ता को संशोधित माँग सूचना जारी कर, आदेश का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

(ज) उल्लंघनकर्ता द्वारा, इस प्रकार लगाए गए जुर्माने का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से माँग सूचना सौंपे जाने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(झ) यदि उल्लंघनकर्ता माँग सूचना में दिये गए निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माने के भुगतान में असफल रहता है, तो इन नियमों के तहत, किसी भी लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, प्राधिकृति, पर्मिट या अनुमोदन, जो भी मामला हो, को रद्द या निलंबित करने जाने की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

फॉर्म ख (नियम 78 देखें) अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का फॉर्म		
1.	अपीलकर्ता का नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल	
4.	दूरभाष नं.	
5.	आदेश संख्या दिनांक के साथ, जिसके विरुद्ध अपील की गई है (आदेश की प्रति संलग्न की जाए)	
6.	नामित अधिकारी का नाम एवं पद जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है	
7.	नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया था	

8.	आदेश का कार्यकारी हिस्सा	
9.	जिस तिथि को अपीलकर्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई	
10.	30 दिनों की सीमा अवधि पूरी होने की तिथि	
11.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील के आधार	
13.	अपीलार्थी की प्रार्थना	
14.	शुल्क एवं संव्यवहार विवरण	

सत्यापन

मैं _____, अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

The Aircraft (Security) Rules, 2022

Preamble

G.S.R. 813(E).—Whereas, the draft of Aircraft (Security) Rules, 2022 which the Central Government proposes to make in supersession of the Aircraft (Security) Rules, 2011, in exercise of the powers conferred by section 4, section 5, sub-section(2) of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) are being published as required by section 14 of the said Act, vide the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No. G.S.R. ___(E) dated _____ in Gazette of India, Part II, Section 3, sub section (i) dated ____ for inviting objection and suggestion from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of thirty days from the date of publication of this draft Aircraft (Security) Rules, 2022.

Suggestions or objections, if any, should be addressed to Shri Pramod Kumar Thakur Deputy Director General, Ministry of Civil Aviation or mailed to pk.thakur@nic.in with the subject line: "Suggestion for draft Aircraft (Security) Rules, 2022".

Any suggestion or objection received with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above may be considered by the Central Government.

Draft Rules

CHAPTER I – PRELIMINARY

1. Short Title, Extent and Commencement–

(i) These rules shall be called the Aircraft (Security) Rules, 202....

(ii) They shall extend to whole of India and apply also-

- to, and to person on, aircraft registered in India wherever they may be;
- to, and to person on, all aircraft for the time being in or over India;

- (c) to, and to person on, an aircraft operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in India.
- (d) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions— (1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject

or context-

- (i) **“Accompanied hold baggage”** means baggage which is accepted for carriage in the hold of an aircraft and which is checked in by the passenger who is on board. (hereinafter referred to as “hold baggage”)
- (ii) **“Act”** means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
- (iii) **“Acts of unlawful interference”** means acts or attempted acts such as to jeopardize the safety of civil aviation, including, but not limited to –
 - (a) unlawful seizure of aircraft,
 - (b) destruction of an aircraft in service,
 - (c) hostage-taking on board aircraft or on aerodromes,
 - (d) forcible intrusion on board an aircraft, at an airport or on the premises of an aeronautical facility,
 - (e) introduction on board an aircraft or at an airport of a weapon or hazardous device or material intended for criminal purposes,
 - (f) use of an aircraft in service for the purpose of causing death, serious bodily injury, or serious damage to property or the environment, and
 - (g) communication of false information such as to jeopardize the safety of an aircraft in flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general public, at an airport or on the premises of a civil aviation facility.
- (iv) **“Aerodrome entry permit”** means the photo identity card, smart card or temporary permit issued by the Director General or any person authorized by the Central Government for entry into the aerodrome or part of an aerodrome;
- (v) **“Aerodrome operator”** means a person, organisation or enterprise responsible for operation and management of an aerodrome;
- (vi) **“Aircraft operator”** means a person, organisation or enterprise engages in or offering to engage in an aircraft operation;
- (vii) **“Airside”** means the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and building or portions thereof access to which is controlled;
- (viii) **“Aviation security”** means a combination of measures, human and material resources intended to be used to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;
- (ix) **“Aviation security group”** means a unit of specialized Government agency authorized by the Director General to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and for the protection of property at the aerodrome handling civil aviation.
- (x) **“Background check”** means a check of person’s identity and previous experience, including any criminal history and any other relevant information, as part of the assessment of an individual’s suitability to implement a security control and/or for unescorted access to the Aerodrome.
- (xi) **“Business establishment”** means specified area at an airport where business is conducted or any service is rendered or both, for financial returns.
- (xii) **“Cabin baggage”** means a baggage intended for carriage in the cabin of an aircraft;
- (xiii) **“Cargo”** means any property carried on an aircraft other than mail, stores and accompanied or mishandled baggage.
- (xiv) **“Catering stores”** means all items, other than catering supplies, associated with passenger inflight services, for example newspapers, magazines, headphones, audio and video storage devices, pillows and blankets, and amenity kits.
- (xv) **“Catering supplies”** means food, beverages, other dry stores and associated equipment used on board an aircraft.

- (xvi) “**Certification**” means a formal evaluation and confirmation by or on behalf of the Director General for aviation security that a person possesses the necessary competencies to perform assigned functions to an acceptable level as defined by the Director General.
- (xvii) “**Convention**” means the Convention related to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1944.
- (xviii) “**Crew member**” means a person assigned to perform duty on an aircraft during a flight duty period by an aircraft operator.
- (xix) “**Director General**” means Director General, Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation appointed under section 4B of the Act, who shall be appropriate authority for the requirements of Annex 17.
- (xx) “**Entity**” means a person or a group of person or a company, including but not limited to an Aerodrome Operator, Aircraft Operator, Ground Handling Agency, Regulated Agent, Fuel Farm, Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Catering Establishment, any other category as may be included by the Central Government or an officer authorized on its behalf for such purposes, from time to time and has its direct or indirect place of business, provides any service, facility, carries out any commercial or financial activity, or any other legal transactions, at the airport or on the premises of a civil aviation facility.
- (xxi) “**Express cargo**” means goods other than mail and accompanied or baggage involuntarily or inadvertently separated from passengers or crew which is required to be carried on priority basis by an aircraft operator.
- (xxii) “**Fuel farm**” means an agency or company which stores and supplies aviation turbine fuel to the aircraft operator at any airport.
- (xxiii) “**Ground Handling Agency**” means an entity established for the purpose of providing Ground Handling Services at an airport, and security cleared by the Director General.
- (xxiv) “**In-flight security officer**” means Government security personnel deployed on board an aircraft with the purpose of protecting that aircraft and its occupants acts of unlawful interference.
- (xxv) “**Known consignor**” means a consignor who originates a cargo or mail for its own account and whose procedures and establishment are approved by the Director General to allow the carriage of such cargo or mail on any aircraft.
- (xxvi) “**Mail**” means dispatches of correspondence and other objects tendered by and intended for delivery to designated postal operators to operate the postal service.
- (xxvii) “**Movement area**” means the area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and including but not limited to the maneuvering area and aprons.
- (xxviii) “**National Civil Aviation Security Programme**” means such written programme established by Appropriate Authority to give effect to any annex of the Convention with the prior approval of the Central Government to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference.
- (xxix) “**Person**” includes an individual, a company, a firm, an association of persons, a body of individuals, a local authority, the central government, the state government and any legal entity, whether incorporated or not.
- (xxx) “**Private Security Agency**” means any security service provider as defined in sub section (g) of Section 2 of The Private Security Agency (Regulation) Act, 2005 and approved by the Director General.
- (xxxi) “**Prohibited article**” means an object which can be used to commit an act of unlawful interference and which has not been properly declared.
- (xxxii) “**Regulated agent**” means an agent, freight forwarder or any other entity which conducts business with an aircraft operator and provides security controls that are accepted or required by the Director General in respect of cargo, or mails to be transported by air.
- (xxxiii) “**Regular employee**” means an individual appointed, employed or engaged on regular basis and paid directly by the employer, without intervention of a third party or a contractor and does not include contractual employee.
- (xxxiv) “**Schedule**” means a Schedule appended to these Rules.

- (xxxv) “**Scheduled Indian air carrier**” means an air carrier which has received an Air Operator Certificate (Scheduled or Scheduled Commuter Operator) from the Directorate General of Civil Aviation.
- (xxxvi) “**Screening**” means the application of technical or other means which are intended to identify or detect weapons, explosives or other dangerous devices which may be used to commit an act of unlawful interference with civil aviation.
- (xxxvii) “**Security audit**” means an in-depth compliance examination of all aspects of the implementation of the national civil aviation security programme.
- (xxxviii) “**Security clearance**” means status granted to person or entity allowing them access to classified information, access to restricted areas or to become eligible to operate at airport or any facility related with civil aviation after successful completion of a background check.
- (xxxix) “**Security control**” means the method by which the introduction of weapon, explosive or other dangerous device, article or substance, which may be used to commit an act of unlawful interference, can be prevented.
- (xl) “**Security hold area**” means the area between any passenger inspection or screening checkpoint and boarding gate, into which access is controlled and additional security measures are applied.
- (xli) “**Security incident**” means security occurrence which results in death or grievous hurt to a person or major damage to the property or major disruption to the civil aviation operations, or any act of unlawful interference which assessed as security incident by the concerned security-in-charge of the entity who received the report, or the Director General or any other officer authorised by him in that behalf.
- Explanation:** - For the purposes of this clause “grievous hurt” shall have the meaning assigned to it in Indian Penal Code 1860.
- (xlii) “**Security inspection**” means an announced or unannounced examination of the effectiveness of the implementation of specific security measures.
- (xliii) “**Security investigation**” means an inquiry into any act or attempted act of unlawful interference against civil aviation and/or any alleged or suspected instance of non-compliance with National Civil Aviation Security Programme or other legal and/or regulatory requirements pertaining to civil aviation security.
- (xliv) “**Security Occurrence**” means any act of unlawful interference, or a compliance-breach of the provisions of the Act, or these rules, or national civil aviation security programme or directions issued by the Director General under the provisions of these rules. It includes the identification or observation of a vulnerability that may endanger the civil aviation security.
- (xlv) “**Security programme**” means written measures specified by the Director General to be undertaken and adopted by an entity to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference.
- (xlvi) “**Security restricted area**” means those areas of the airside of an airport which are identified as risk areas where in addition to access control, other security controls are applied. This includes but not limited to security hold area.
- (xlvii) “**Stores (supplies)**” means any goods intended for sale or use on an aircraft, including spare parts and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting.
- (xlviii) “**Security survey**” means an evaluation of the security needs including the identification of vulnerabilities which could be exploited to carry out an act of unlawful interference, and the recommendation of corrective actions.
- (xlix) “**Security test**” means a covert or overt trial of an aviation security measure which simulates an attempt to commit an unlawful act.
- (l) “**Security vetting**” means compliance with the security controls specified in the National Civil Aviation Security Programme with regard to any aircraft, entity, person or object.
- (li) “**Sensitive aviation security information**” means information that, if accessed by or disclosed to unauthorized persons, could create or be used to exploit vulnerability or facilitate an act of unlawful interference against civil aviation.
- (lii) “**Specified**” means the directions issued by the Director General under rule 74.
- (liii) “**Terminal**” means the building or group of buildings and includes arrival building where

screening of passenger, baggage, cargo and courier bag is done and boarding on aircraft takes place.

- (liv) **“Unidentified baggage”** means baggage at an aerodrome with or without a baggage tag which is not picked up by or identified by a passenger or any other person.
- (lv) **“Vulnerable area or point”** means any facility on or connected with an aerodrome, which, if damaged or destroyed, would seriously impair the functioning of the aerodrome.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as is assigned to them in the Act.

3. **Role and Responsibilities of the Director General –**

The Director General shall; -

- (a) establish, develop, implement, maintain and review the National Civil Aviation Security Programme consistent with the provisions of Annex-17 to the convention to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference and threat perception taking into account the safety, regularity and efficiency of flights;
- (b) make order necessary to carry out National Civil Aviation Security Programme;
- (c) respond immediately to meet any increased security threat;
- (d) define and allocate tasks and coordinate activities between the departments, agencies and other organisation of the State Government, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme;
- (e) make provision to establish a National Aviation Security Committee or similar arrangements for the purpose of coordinating security activities between the departments, agencies and other organisations, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme;
- (f) establish, develop and implement National Civil Aviation Security Training Programme for personnel of all entities involved with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme which shall be designed to ensure the effectiveness of the said security programme;
- (g) designate an authority at each aerodrome serving civil aviation who shall be responsible for coordinating the implementation of security controls;
- (h) make provision to establish aerodrome security committee at each aerodrome serving civil aviation for coordinating the implementation of security controls and procedures as specified in the aerodrome security programme;
- (i) develop, implement and maintain a National Civil Aviation Security Quality Control Programme to determine compliance with and validate the effectiveness of its National Civil Aviation Security Programme;
- (j) arrange for security audit, test, survey and inspection to be conducted on a regular basis, to verify compliance with the National Civil Aviation Security Programme and to provide for immediate and effective rectification of any deficiency;
- (k) carry out security risk assessment, and to establish and implement policy and procedure to adjust relevant element of its National Civil Aviation Security Programme accordingly, based upon a threat assessment carried out by the national security agencies;
- (l) carry out regulatory and oversight functions in respect of matters relating to civil aviation security.

CHAPTER II – CIVIL AVIATION SECURITY COMMITTEES

- 4. **National Civil Aviation Security Committee-** There shall be a National Civil Aviation Security Committee comprising of Secretary, Ministry of Civil Aviation as Chairman, Director General as Member Secretary-cum-Convener and other members concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the civil aviation security as specified in the National Civil Aviation Security Programme.
- 5. **Airport Security Committee-**All airport operators, whose security programme has been approved by the Director General, shall establish an Airport Security Committee in conformity with the National Civil Aviation Security Programme.

CHAPTER III – SECURITY CLEARANCE AND SECURITY PROGRAMME

- 6. **Security Programme of Aerodrome and Aircraft Operators-**

- (i) Every aerodrome operator and aircraft operator shall, with the approval of the Director General, develop, implement and maintain their respective security programme, in accordance with the provisions of this Rule and requirements of the National Civil Aviation Security Programme.
- (ii) Any amendment to such programme shall be made after the prior approval of the Director General.
- 7. Commencement of Operations by Aerodrome and Aircraft Operators** - No aerodrome operator or aircraft operator shall commence operation at aerodrome without obtaining clearance of security vetting and security arrangements, as applicable, and the approval of security programme from the Director General.
- 8. Security Clearance and Security Programme of Entities Operating at Aerodrome-** No entity shall commence operation at aerodrome without obtaining security clearance and approval of their security programme in accordance with provisions of this Rule and the National Civil Aviation Security Programme, from the Director General, as applicable, or unless exempted in writing by the Director General or the Central Government.
- 9. Power to Suspend or Cancel Security Clearance-** The Director General, after giving the entity an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel or impose conditions in respect of any security clearance granted under these rules, where he has any reasonable grounds to believe and considers such action necessary, in the interests of national security or civil aviation security; or if the entity has contravened or failed to comply with any condition of security clearance or provision of these rules.
- 10. Power to Suspend or Cancel Security Programme-** The Director General, after giving the entity an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel or impose conditions in respect of security programme approved under these rules, where he has any reasonable grounds to believe and considers such action necessary, in the interests of national security or civil aviation security; or if the entity has contravened or failed to comply with any condition of approved security programme or provision of these rules.
- 11. Renewal of Security Clearance and Security Programme:** Each entity shall apply for renewal of its approved security clearance and security programme as specified by the Director General.
- 12. Review of Security Programme:** Each entity shall review its valid security programme periodically as specified by the Director General, and submit amendments if any, for the approval of the Director General.
- 13. Appointment of Chief Security Officer:** Each entity shall appoint a person, designated as Chief Security Officer or Aviation Security Compliance Officer, as applicable, having requisite qualification, training and experience in aviation security and entrust him with the responsibilities, as specified by the Director General.

CHAPTER IV – SECURITY MEASURES AT AERODROMES

- 14. Operation of Entities at Airport:** No aerodrome operator shall himself operate and/or allow any entity or person to locate, operate, provide services, facility, or setting up of a business establishment at aerodrome without obtaining security clearance and approval of security programme as applicable and specified by the Director General or Central Government.
- 15. Planning, Design and Layout of the Aerodrome:**
- (i) The planning, design and layout of the aerodrome shall be in accordance with the specifications provided in the National Civil Aviation Security Programme including, -
- (a) security control applied to passenger, staff, baggage, cargo, courier, express parcel, mail, catering stores and supply;
 - (b) a description of significant features affecting the security of the airport, such as residential areas or any other structure or natural boundary;
 - (c) protection and control of access to airside, security restricted area, facility and other vulnerable aerodrome area/points;
 - (d) installation, operation and maintenance of security equipment; and
 - (e) architectural and infrastructure related requirements.
- (ii) Every aerodrome operator shall establish security restricted area at aerodrome serving civil aviation, in accordance with the security risk assessment carried out by the Director General.
- (iii) No aerodrome operator shall undertake construction of aerodrome or construction of new facilities at aerodrome or part thereof or alteration to existing design and facilities without obtaining the written approval from the Director General.

16. **Aerodrome Perimeter:** Every aerodrome operator shall construct a perimeter wall of the height of 2.438 meter (8ft) with overhung fence of 0.457 meter (1.5ft) around the aerodrome;
- Provided that the Director General, keeping in view the threat or any other reason, may, by order, modify the specification of the perimeter wall or fence.
17. **Provision of Lighting, Road for Patrolling and Observation Post:** The aerodrome operator shall make the following security arrangements at the aerodrome, namely:-
- lighting for perimeter and any other vulnerable area;
 - all-weather road along with the perimeter for patrolling by the security personnel; and
 - observation or command posts for the security personnel.
- Provided that the Director General may, taking into consideration the risk assessments, make such order in writing as may be deemed appropriate for security arrangements.
18. **Protection of facilities under aerodrome operator:** Every aerodrome operator shall identify, demarcate and protect all vulnerable areas/points and operations under him including technical and maintenance, power supplies, electrical sub-station, control towers and other building used by air traffic services and communication facilities.
19. **Handling of unidentified baggage or suspicious object:** The aerodrome operator shall-
- construct and maintain a protected and isolated area for placing a suspect or unidentified baggage, cargo, vehicles or aircraft or any other suspicious object; and
 - take appropriate measures to assess, identify, get it investigated and disposed off.
20. **Contingency Plan:**
- The aerodrome operator shall, with the approval of the Director General, develop, implement and maintain contingency plans and provisions for additional security measures in case of security alert to deal with acts of unlawful interference.
 - Such plans shall be tested and reviewed at such regular intervals as specified by the Director General.

CHAPTER V – AVIATION SECURITY SERVICE

21. **Aviation Security Group:**
- Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of Government security agency as may be determined by the Director General for performing security duties assigned to it under these rules.
 - The personnel engaged under sub-rule (i) shall be designated as Aviation Security Group and the head of such group as Chief Aerodrome Security Officer.
 - The Aviation Security Group shall work in coordination with the airport operator.
 - The aerodrome operator shall provide such facility and support to the Aviation Security Group as may be approved by the Director General.
 - In emergent situations, the Director General may order necessary changes in the deployment of Aviation Security Group.
22. **Duties of the Chief Aerodrome Security Officer:** The Chief Aerodrome Security Officer shall perform following duties, namely:
- safeguarding of passengers, crew, ground personnel and other aerodrome users, aircraft, aerodrome and related facilities including vulnerable areas/points from acts of unlawful interference;
 - enforcement of access control measures into the restricted area of the aerodrome;
 - security of perimeter;
 - screening of passengers and their cabin baggage;
 - screening of persons other than passengers together with items being carried by them;
 - screening of vehicles together with items contained within them, entering into the security restricted area;

- (vii) surveillance within and around aerodrome area;
 - (viii) enforcement of security measures including car parks and places close to movement area;
 - (ix) maintenance of order and discipline in the aerodrome premises;
 - (x) supervise the movement of persons in the security restricted areas;
 - (xi) liaison with local police and intelligence agencies; and
 - (xii) any other duty assigned by the Director General.
23. **Disembarkation of unruly passenger:** The Chief Aerodrome Security Officer or any other Officer of Aviation Security Group authorized by him in this behalf shall, on a written request of the pilot-in-command, assist him in disembarking any person from the aircraft on grounds of risk to safety and security of the aircraft, passengers and the crew.
24. **Private Security Agency:**
- (i) Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of private security agency as may be determined by the Director General for performing security duties assigned to them.
 - (ii) The Private Security Agency shall work under the operational supervision and direction of the Chief Aerodrome Security Officer and under the administrative supervision of the Airport Director.
 - (iii) The Private Security Agency shall be trained as per prescribed standards of aviation security training.

CHAPTER VI – AERODROME ACCESS CONTROL

25. **Entry into Aerodrome:**
- (i) No person shall enter into aerodrome unless a person-
 - (a) is a bona-fide passenger; or
 - (b) has been issued with valid aerodrome entry permit; or
 - (c) has been issued with valid visitor admission ticket; or
 - (d) comes under exempted category as approved by the Director General or Central Government.
 - (ii) No person shall drive or cause any vehicle to be driven in the movement area unless such vehicle is—
 - (a) issued with a valid vehicle entry permit; or
 - (b) especially permitted in writing by the Director General.
 - (iii) Any person authorized in terms of clause (i)(b) and clause (ii)(a) to enter into security restricted area or movement area shall enter into such area for the operational need or other valid reason to be there.
26. **Security Measures Related with Vehicles:** Each aerodrome operator shall ensure to establish provisions for applying screening or other appropriate security controls to vehicles being granted access to movement area, together with items contained within them, as specified by the Director General.
27. **Issue of Aerodrome Entry Permit and Vehicle Entry Permit:** The aerodrome entry permit and vehicle entry permit shall be issued as per procedure laid down by the Director General or Central Government.
28. **Background Check of Employees:** Each entity shall ensure that the initial and periodic background checks for each employee working at the airport are carried out in accordance with the guidelines issued by the Director General.
29. **Protection and access control of Aerodrome Entry Permit issuance and Visitor Admission Ticket Related Systems:** The aerodrome operator shall ensure that unused visitor admission tickets are always kept secured, and areas and systems being used for issuing Aerodrome Entry Permit and visitor admission tickets are secured by access control systems.
30. **Display of Aerodrome Entry Permit:** The aerodrome entry permit shall be displayed by the holder conspicuously above waist level at all times while on duty.
31. **Display of Vehicle Entry Permit:** The holder of a vehicle entry permit shall display such permit, on the left side of the front windscreen of such vehicle, at all times when the vehicle is in the movement area.
32. **Surrender of Aerodrome Entry Permit and Vehicle Entry Permit:** The aerodrome entry permit and vehicle entry permit shall be surrendered, as applicable, to the Director General or to any person authorized by the Central Government in this behalf, as per procedure laid down by the Director General or Central Government.

- 33. Maintenance and Availability of Stop List:** The authorized issuing authorities of entry permits shall maintain a stop list and each airport operator shall make it available, at all access points and security restricted areas, to Aviation Security Group as per guidelines issued by the Director General or central government
- 34. Prohibition of Transfer of Aerodrome Entry Permit:** Aerodrome entry permit is not transferrable unless exempted by the Director General.
- 35. Reserved right of admission:** Notwithstanding anything contained in this Rule, the aerodrome operator or the Director General, may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of security-
- (i) refuse admission to any person in the aerodrome; or
 - (ii) require any person to leave the aerodrome.
- 36. Prohibition to Carry Weapons or Explosive:** No person shall enter aerodrome or the aircraft with any weapon, firearm, ammunition or explosive;

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable-

- (i) to the Aviation Security Group, Armed forces and police personnel required to carry their weapon, firearms or ammunition in connection with the performance of their duties; and
 - (ii) to such dummy weapon, explosive, explosive device or any other dummy prohibited item, duly authorized by the Director General, for the purpose of testing the efficacy of aviation security.
- 37. Entry into security restricted area:** No vehicle, person and baggage or item or supplies or stores or tools of trade carried by such person shall be allowed to enter into the security restricted area without applying security controls as per procedure laid down by the Director General.

CHAPTER VII – PRE-EMBARKATION SECURITY CHECKS

- 38. Entry into security hold area:**
- (i) Before granting access to security hold areas, the aviation security group shall screen every person, baggage, belongings, supplies, stores, unless exempted in writing by the Director General.
 - (ii) No article shall be allowed to enter into the security hold area which is restricted in aircraft cabin.
- 39. Security Check before embarkation:**
- (i) Before embarkation, every originating passenger and transfer passenger boarding an aircraft and his cabin baggage, if any, shall be screened by an officer of the Aviation Security Group or an officer duly authorized in this behalf by the Director General.
 - (ii) The provisions of sub-rule(i) shall be applicable to the transit passengers only if they disembark from the aircraft;

Provided that the provisions of sub-rule (i) and this rule shall not be applicable to such persons as may be specified by the Director General by a written order.

- (iii) Aviation Security Group and aircraft operator shall protect the passenger and their screened cabin baggage from unauthorized interference from the point of screening to boarding the aircraft.

- 40. Prohibition on carriage of certain articles:**
- (i) The Director General may by an order in writing prohibit the carriage of certain articles on person or in baggage of passenger and crew member which, in his opinion, is likely to be used for committing acts of unlawful interference with civil aviation.
 - (ii) Where prohibited articles are detected during screening, action shall be taken in accordance with the provisions of these rules or any other law for the time being in force.

CHAPTER VIII – SECURITY MEASURES BY AIRCRAFT OPERATORS

- 41. Deployment of Security Staff:** An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties who are regular employees, whose background checks have been successfully conducted initially and periodically thereafter, and who are employed after appropriate training, selection procedure and certification as specified by the Director General.

Provided that an aircraft operator may enter into a contract with an Indian Scheduled Carrier or an Aerodrome Operator for performance of security functions and engage for such security functions, regular employees of the Indian Scheduled Carrier or the Aerodrome Operator, as the case may be, who meet the requirements specified in the rule.

42. Security Check and/or Search of Aircraft:

- (i) Each aircraft operator shall carry out the check and/or search of his aircraft as specified by the Director General-
 - (a) before first departure of the day, only after all maintenance and cleaning staff have vacated and before embarkation of the passengers.
 - (b) between each flight before boarding of passengers after disembarkation; and
 - (c) as and when directed by the Director General.
- (ii) Each aircraft operator operating to/from India shall ensure removal from the aircraft, any item left behind by passengers disembarking from flight and its disposal.

43. Access Control to Aircraft:

- (i) The aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security search or check till the departure of the aircraft.
- (ii) The aircraft operator shall secure the non-operational aircraft by maintaining surveillance and keeping, -
 - (a) cabin doors closed;
 - (b) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted; and
 - (c) tamper evident stick-on security seals on panels, compartments and doors; and
 - (d) any additional security measures approved by the Director General from time to time.

44. Protection and Access Control of the cockpit door and Flight-Crew compartment: Every aircraft operator shall, -

- (i) ensure that cockpit doors of aircraft are locked during, all phases of flight, unless required to be opened for operational reasons,
- (ii) establish and maintain communication system between the flight crew and cabin crew during flight; and assign responsibility of access control of cockpit to pilot-in-command.

45. Deployment of In-Flight Security Officer:

- (i) aircraft operator shall carry such number of in-flight security officer on board a passenger aircraft, as the Director General may specify by an order in writing.
- (ii) aircraft operator shall declare to the pilot-in-command the number of in-flight security officers and their seat locations.

46. Security Control for Hold Baggage: The aircraft operator or the aerodrome operator shall screen and protect hold baggage from unauthorized interference, from the point it is screened or accepted into the custody of the operator, as applicable, until departure of the aircraft on which it is to be carried, in such a manner as specified by the Director General.

47. Identification and Reconciliation of Hold Baggage: An aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as specified by the Director General by an order in writing.

48. Security Control for Transfer Baggage: The aircraft operator shall screen the transfer hold baggage before loading into an aircraft:-

Provided that the hold baggage for domestic flights screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorized interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome shall not be subjected to screening.

49. Carriage of Prisoners in Aircraft: The aircraft operator shall carry any prisoner, in such manner as specified by the Director General.

Explanation- “prisoner” means a person who is confined in any prison and includes a person who is arrested under any law for the time being in force.

- 50. Carriage of Cargo, Mail, Catering Supplies, Catering Stores and other Stores:** No aircraft operator shall accept on board any cargo, mail, catering supplies, catering stores and other stores and supplies unless appropriate security controls have been applied in such a manner as specified by the Director General.
- 51. Detention of Aircraft:** The Director General or any other person authorized in this behalf by the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, detain an aircraft if in his opinion, -
- (i) the aircraft has on board unauthorized arms, explosives or other sabotage devices which are likely to cause danger to the security of that aircraft; or
 - (ii) the aircraft on board a person who has gained entry in unauthorized manner or is likely to cause unlawful interference with civil aviation operation; or
 - (iii) the detention is necessary to secure compliance with any of the provisions of these rules.

CHAPTER IX – CARGO, EXPRESS CARGO AND MAIL

52. Cargo, Express Cargo and Mail:

- (i) Any cargo, express cargo, mail or courier bag intended to be carried on any aircraft, shall be subjected to appropriate security controls by regular employees, who are trained in accordance with the National Civil Aviation Security Training Programme, of aircraft operator or regulated agent or known consignor.
- (ii) No cargo shall be loaded on to an aircraft without applying appropriate security controls including, but not limited to, X-ray screening and physical search;

Provided that the Director General may by an order in writing exempt any cargo, express cargo or mail from the provisions of this rule.

53. Security control for Cargo, Express Cargo and Mail by Aircraft Operator:

- (i) An aircraft operator accepting consignment from a regulated agent or known consignor for transportation on his aircraft shall—
 - (a) conduct random inspection of such consignment as specified by the Director General;
 - (b) ensure that additional security measures are applied to high-risk cargo and mail to mitigate the threat associated with it as specified by the Director General BCAS;
 - (c) ensure the safeguarding of such consignment against unlawful interference from the acceptance until it has been placed in the aircraft.
- (ii) An aircraft operator shall ensure-
 - (a) application of security controls on consignment to prevent acts of unlawful interference against civil aviation, which are accepted from a consignor or any authorized representative of the consignor, that is not a regulated agent or known consignor,
 - (b) that transfer cargo and mail are subjected to appropriate security controls prior to being loaded on air craft as specified by the Director General.

54. Prohibition on carriage of certain goods:

- (i) The Director General may, by order in writing, prohibit the carriage of certain goods through cargo or courier bags or mail.
- (ii) The consignment containing prohibited articles shall not be loaded on aircraft unless permitted in writing by the Director General or Central Government subject to such conditions, if any, as may be specified in such permission.

55. Security Control for Cargo, Express Cargo and Mail by Regulated Agent:

- (i) the aircraft operator may engage Regulated Agent for applying security control on cargo, courier and mail to be carried by air, who shall function as per the procedure laid down by the Director General.
- (ii) regulated agent shall ensure—
 - (a) the safeguarding of consignment against unlawful interference from the acceptance until such consignment has been handed over to the security staff of the aircraft operator or staff of the security service provider;
 - (b) the security of his buildings, premises, transport facilities and cargo warehouses;

- (c) that all related security documents of consignment are maintained;
- (d) recruitment and training of security staff intended to apply security controls at regulated agent facility, as per the provisions laid down by the Director General;
- (e) that additional security controls have been applied to high-risk cargo and mail to mitigate the threat associated with it as specified by the Director General.

CHAPTER X-CATERING SUPPLIES AND STORES

- 56. Acceptance of Catering Supplies and Stores by Aircraft Operator:** An aircraft operator shall not accept any catering supplies and stores, from catering establishment, for transportation by aircraft, unless security programme of catering establishment is approved by the Director General.
- 57. Responsibilities of Catering Establishment:** Each Catering Establishment shall ensure-
- (i) the security of catering stores and supplies accepted at its facility through its regular employees;
 - (ii) the security of its buildings, premises and transport facilities through its regular employees or by such agency which is approved by Director General;
- 58. Security Control of Other Stores:** No aircraft operator shall load on to the aircraft any item for use on the aircraft without ensuring application of appropriate security controls.

CHAPTER XI – SECURITY OCCURRENCE/ INCIDENTS

- 59. Reporting of security occurrence or incident:** Every entity shall report the security occurrence or security incident to the Director General immediately as specified by the Director General.
- 60. Security Investigation of security occurrence or incident:**
- (i) The Director General may order security investigation of any security occurrence or incident, reported to him or which comes to his notice, and appoint an officer not below the rank of the Assistant Director as Inquiry Officer.
 - (ii) The Inquiry Officer shall conduct the inquiry by affording an opportunity of being heard to all concerned and make a report to the Director General.
- 61. Power of the Inquiry Officer:** For the purpose of inquiry an Inquiry Officer shall have power-
- (i) to require, by notice, the attendance of any person and entity;
 - (ii) to require any such person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him;
 - (iii) to cause the production of any required certificate, book, manual, record, list, notice, other document and article; and
 - (iv) to have access to and examine any aircraft or place.

CHAPTER XII- MEASURES RELATING TO CYBER THREATS

- 62. Identification, Risk Assessment and Protection of Critical Information and Communication Technology Systems and Data:** Each entity shall identify its critical information and communication technology systems and data used for civil aviation purposes and, in accordance with a risk assessment and National Civil Aviation Security Programme, shall develop and implement appropriate security measures to protect it from unauthorised access, modification and use.
- 63. Security Measures for Critical Information and Communication Technology Systems and Data:** Each entity shall entrust the responsibility for securing critical information and communication technology systems and data to properly selected, recruited and appropriately trained staff.
- 64. Detection of cyber-attack and cyber security response plan:** Each entity shall develop and implement processes and procedures for detecting unauthorized access to their critical information and communication technology systems and data and also establish a cyber-security response plan which shall include operation continuity plan as specified by the Director General.

CHAPTER XIII –PROTECTION OF INFORMATION AND RECORDS

- 65. Protection of Security Aviation Sensitive Information:** All entities shall ensure that their security programme and other sensitive aviation security information and its contents are protected against unauthorized access, amendment and disclosure.

- 66. Unauthorised Disclosure of Security Aviation Sensitive Information:** No person shall disclose any sensitive aviation security information, other than in such manner and to such person as specified by the Director General, which has been acquired by him for and during performance of his assigned duties unless such disclosure may be required under the Act, or these rules, or as may be required by the Central Government, or any officer authorized on its behalf, or process of law.
- 67. False Statements, Entries or Unauthorized Reproduction:** No person shall make or cause to be made, any of the following-
- (i) a fraudulent or intentionally false statement or alteration of any material information in any documents submitted to the Director General;
 - (ii) a fraudulent or intentionally false entry or alteration of any material information in any record or report that is kept, made or used to show compliance of this Rule;
 - (iii) unauthorized reproduction or alteration or forgery of any report, record, document, security clearance, security programme, aerodrome entry permit, training certificates or any other permissions granted by the Director General or an officer on his behalf.
- 68. Retention of Records:** Every entity shall retain the records of document(s), data, or information as the Director General may specify, till such time and in the manner as specified.

CHAPTER XIV – GENERAL

- 69. Security Audit and Security Inspection:**
- (i) Any person, authorized by the Director General in writing may, at all reasonable times, enter any place or aircraft to which access is necessary to audit and inspect the facilities, services, equipment, documents and records for the purpose of compliance of National Civil Aviation Security Programme and with the provisions of these rules.
 - (ii) An entity shall, upon request from such authorized person, present records, data and all other information as requested.
- 70. Internal Quality Control by Entities:** Each entity shall develop, implement and maintain a written internal quality control programme, as applicable, in conformity with the National Civil Aviation Security Programme and the National Civil Aviation Security Quality Control Programme.
- 71. Security training of employees:** Each entity shall ensure that employees engaged by them, in security or non-security duties, are trained and qualified in initial and refresher training, as specified by the Director General in National Civil Aviation Security Training Programme.
- 72. Certification and Competency of Screener:** No entity shall deploy any employee for screening duties unless he is appropriately selected, trained and maintains required competencies through initial and refresher training in accordance with the National Civil Aviation Security Training Programme.
- 73. Installation, Operation and maintenance of security equipment:**
- (i) No entity shall install and operate any security equipment that does not meet the minimum specification criteria as specified by the Director General or the Central Government.
 - (ii) Each entity shall ensure that the security equipment deployed by them for aviation security purpose is maintained in operational condition.
- 74. Directions by Director General:** The Director General may issue directions not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) or these rules, relating to civil aviation security.
- 75. General power to exempt:** The Director General may, by a general or special order in writing, exempt any aircraft or class of aircrafts or any person or class of persons from the operations of the orders issued under these rules, either wholly or partially, subject to such conditions, as may be specified in that order.

CHAPTER XV- APPEALS, COMPOUNDING OF OFFENCES AND PENALTY

- 76. Appeals:**
- (1) (a) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer an appeal, to an appellate officer having jurisdiction in the matter and is next higher in rank to the officer who has passed such order, within a period of thirty days from the date on which the copy of the said order is received by him.
 - (b) The appellate officer may after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such order as he deems fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1)—

(a) in case of an order passed by the Director-General, the appeal shall lie to the Secretary to the Government of India in the Ministry dealing with the Civil Aviation matters;

(b) an order issued under section 5A of the Aircraft Act, 1934 shall not be appealable under this rule.

77. Offences and Compounding. —

(i) For the purposes of sub-section (2) of section 10 of the Aircraft Act, 1934, the Central Government directs that any person, who has breached any rule as specified in Table 1 of First Schedule of these rules, shall be punishable with the penalty as specified in paragraph 1 of that Schedule.

(ii) Subject to the provisions of section 12A of the Aircraft Act, 1934, Offences punishable under sections 10, 11, 11A and section 12 of the said Act and rules as specified in First Schedule to these rules, may be compounded by the Director-General or any other officer specially empowered under sub-section (4) of section 4B of the said Act, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

78. Penalties:

(i) Any person, who has contravened any rule as specified in Second Schedule of these rules, shall be liable for imposition of penalty to the extent as laid down in such Schedule and in accordance with the provisions of section 10A of the Aircraft Act, 1934.

(ii) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the appellate officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

[F.No. AV.13024/11/2022-AS]

PRAMOD KUMAR THAKUR, Dy. Director General

FIRST SCHEDULE

(See rule 77)

Punishment and Compounding of Offences

1. Offences punishable under the Aircraft (Security) Rules, 202... with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine not exceeding one crore/ten lakh rupees, or with both and amount for compounding thereof:

Table 1

Sl. No.	Nature of offence	Relevant rule	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
1.	Non-compliance of rule 6 in respect of Security Programme of Aerodrome and Aircraft Operators	Rule 6	25 Lakh
2.	Non-compliance of rule 7 in respect of Commencement of Operations by Aerodrome and Aircraft Operators	Rule 7	25 Lakh
3.	Non-compliance of rule 8 in respect of Security Clearance and Security Programme of Entities Operating at Aerodrome	Rule 8	15 Lakh
4.	Non-compliance of rule 11 in respect of Renewal of Security Clearance and Security Programme by the Entities before expiry of Security clearance and security programme	Rule 11	5 Lakh
5.	Non-compliance of rule 14 in respect of Operation of Entities at Airport without Security clearance and security programme	Rule 14	15 Lakh
6.	Non-compliance of rule 15 in respect of Planning, Design and Layout of the Aerodrome Security	Rule 15	25 Lakh
7.	Non-compliance of rule 20 in respect of Contingency Plan by Airport Operator	Rule 20	15 Lakh

8.	Non-compliance of the provisions of Entry into aerodrome	Rule 25 (i) and (ii)	1 Lakh
9.	Contravention of rule 27 in respect of Issue of Aerodrome Entry Permit and Vehicle Entry Permit	Rule 27	5 Lakh
10.	Non-compliance of the direction in respect of Surrender of Aerodrome Entry Permit and Vehicle entry Permit	Rule 32	1 Lakh
11.	Contravention of rule 34 in respect of Prohibition of Transfer of Aerodrome Entry Permit	Rule 34	1 Lakh
12.	Non-compliance of the direction related with reserved right of admission under rule 35 (ii)	Rule 35 (ii)	1 Lakh
13.	Contravention of rule 36 in respect of Prohibition to Carry Weapons or Explosive	Rule 36	Non - Compounding
14.	Contravention of the provision of entry into security restricted area	Rule 37	5 Lakh
15.	Contravention of rule 38 in respect of Entry into Security Hold Area	Rule 38	5 Lakh
16.	Non-compliance of directions to carry Deployed In-Flight Security Officer	Rule 45 (i)	Non - Compounding
17.	Non-compliance of the direction of Detention of Aircraft issued under rule 51	Rule 51	Non - Compounding

2. Amount for compounding of offences punishable under sections 10, 11, 11A and section 12 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934):

Table 2

Sl. No.	Offence and relevant Section	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
1.	Offence punishable under sub-section (1) of section 10 (except the offence related to carriage of arms and explosives)	25 Lakh
2.	Offence punishable under section 11	25 Lakh
3.	Offence punishable under section 11A	25 Lakh
4.	Penalty for abetment of offences and attempted offences under section 12	Amount prescribed for such offences

3. Where such offence has been committed by the organisation, the amount for compounding of offences shall be as under: -

Table 3

Contravention committed by	Number of employees	Amount for compounding of offence (in rupees)
Organisation (small)	Up to 50 employees	200% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable

Organisation (medium)	More than 50 and up to 250 employees	300% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable
Organisation (large)	More than 250 employees	400% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable

Note: -(1) “Individual” means a natural person.

(2) “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

4. Procedure for compounding of offences. —

(a) An application for compounding of an offence shall be made by the applicant to the Director-General or any officer specially empowered by the Central Government in this behalf in Form A along with the fee of one thousand rupees in the manner as laid down by the Director-General.

(b) On receipt of the application for compounding, such officer shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(c) Such officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings and in case the contravener fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(d) Such officer may issue notice to all the concerned of the case to participate in the proceedings.

(e) During the compounding proceedings, such officer after giving due opportunity to the applicant of being heard, shall determine the amount for compounding of offence in accordance with the Tables of paragraphs 1, 2 and paragraph 3 and where the decision of such officer in respect the amount so determined is not acceptable to the applicant then the applicant shall submit the same in writing to such officer within three days or within such reasonable period as determined by such officer.

(f) After such submission by the applicant or non-submission within such reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the Aircraft Act, 1934 and these rules and the Officer shall prepare a report in respect of these proceedings.

(g) The amount for which the contravention is compounded shall be paid in the manner as specified by the Director General within the thirty days of the date of decision of compounding.

(h) In case a person fails to pay the amount for compounding within thirty days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Aircraft Act, 1934 and these rules.

(i) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than sixty days from the date of application and this period of sixty days may be extended up to ninety days by the Director-General, for reasons to be recorded in writing, in exceptional circumstances.

FORM A (See rule 77) Application for compounding of Offence		
1.	Name(s) of the applicant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	The Authority before whom the case is pending	
6.	Contravention of sections or rules	
7.	Brief facts of the case	
8.	Any other information relevant to the case	

9.	Prayer of the applicant	
10.	Fee and transaction details	
11.	Attachment, if any	

Verification

I _____, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and signature of the Applicant

Date:

Place:

SECOND SCHEDULE

(See rule 78)

Penalties

Table 1

1. Classification of severity levels of contravention and penalties thereof: -

Sl. No.	Severity level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to 50 employees	More than 50 and up to 250 employees	More than 250 employees
1.	Level -1	Ten thousand	One Lakh	Five Lakh	Ten Lakh
2.	Level -2	Fifteen Thousand	Five Lakh	Ten Lakh	Twenty Lakh
3.	Level -3	Twenty-Five Thousand	Ten Lakh	Twenty Lakh	Thirty Lakh
4.	Level -4	Fifty Thousand	Twenty Lakh	Thirty Lakh	Fifty Lakh
5.	Level -5	Seventy-Five Thousand	Thirty Lakh	Fifty Lakh	Seventy-Five Lakh
6.	Level -6	One Lakh	Fifty Lakh	Seventy-Five Lakh	One Crore

Note: - (1) "Individual" means a natural person.

(2) "Organisation" means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) "Employee" means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

2. Contravention of rule(s) and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.

Table 2

Sl. No.	Nature of contravention	Relevant rule(s)	Severity level of contravention/violation/non-compliance
1.	Non-setting up of the Airport Security Committee	Rule 5	Level -1
2.	Non-reviewing of Security Programme by the entities	Rule 12	Level -1
3.	Not appointing the Chief Security Officer	Rule 13	Level -2

4.	Contravention of rule 16 in respect of Aerodrome Perimeter	Rule 16	Level -2
5.	Contravention of rule 17 in respect of provision of Lighting, Road for Patrolling and Observation Post by airport operator	Rule 17	Level -2
6.	Contravention of rule 18 in respect of protection of facilities owned by aerodrome operator	Rule 18	Level -2
7.	Contravention of rule 19 in respect of handling of unidentified baggage or suspicious object	Rule 19	Level -2
8.	Contravention of rule 21(i) and (iv) in respect of deployment of Aviation Security Group and providing support and facility to them by airport operator	Rule 21(i) and (iv)	Level -2
9.	Contravention of rule 24 in respect of deployment of Private Security Agency	Rule 24	Level -2
10.	Contravention of rule 25(iii) in respect of entry into aerodrome	Rule 25 (iii)	Level -1
11.	Non-compliance of security measures related with vehicles	Rule 26	Level -1
12.	Contravention of rule 28 in respect of background check of employees	Rule 28	Level -2
13.	Contravention of rule 29 in respect of protection and access control of Aerodrome Entry Permit and Visitor Admission Ticket related system	Rule 29	Level - 2
14.	Non-compliance in respect of display of Aerodrome Entry Permit	Rule 30	Level -1
15.	Non-compliance in respect of display of Vehicle Entry Permit	Rule 31	Level -1
16.	Non-compliance in respect of maintenance and availability of Stop-List by airport operator	Rule 33	Level - 2
17.	Non-compliance of rule 39(iii) in respect of Security Check Before Embarkation by aircraft operator	Rule 39 (iii)	Level -2
18.	Contravention of rule 40(ii) in respect of Prohibition on Carriage of Certain Articles	Rule 40 (ii)	Level -5
19.	Contravention of rule 41 in respect of deployment of Security Staff by aircraft operator	Rule 41	Level - 4
20.	Non-compliance of Security Check and/or Search of Aircraft	Rule 42	Level - 2
21.	Non-compliance of Access Control to aircraft by aircraft operator	Rule 43	Level - 4
22.	Non-compliance of Protection and Access Control of the Cockpit door and Flight-Crew Compartment	Rule 44	Level - 6
23.	Non-compliance of Security Control for Hold Baggage	Rule 46	Level - 5
24.	Non-compliance of Identification and Reconciliation of Hold Baggage	Rule 47	Level -4

25.	Non-compliance of Security measures for Transfer Baggage	Rule 48	Level -3
26.	Contravention of rule 49 on Carriage of Prisoners in Aircraft	Rule 49	Level - 4
27.	Contravention of rule 50 on Carriage of Cargo, Mail, Catering Supplies, Catering Stores and Other Stores	Rule 50	Level -4
28.	Non-compliance of rule 52 (i) and (ii) in respect of cargo, express cargo and mail	Rule 52 (i) and (ii)	Level - 1
29.	Contravention of rule 53 (i) and (ii) in respect of security control for Cargo, Express Cargo and Mail by Aircraft Operator	Rule 53 (i) and (ii)	Level -1
30.	Contravention of rule 54 in respect of prohibition on carriage of certain goods	Rule 54	Level -5
31.	Contravention of rule 55 in respect of security control for cargo, express cargo and mail by Regulated Agent	Rule 55	Level - 4
32.	Contravention of rule 56 in respect of acceptance of catering supplies and stores by aircraft operator	Rule 56	Level - 2
33.	Contravention of rule 57 in respect of responsibilities of catering establishment	Rule 57	Level - 2
34.	Contravention of rule 58 in respect of security control of other stores	Rule 58	Level -2
35.	Contravention of rule 59 in respect of reporting of security occurrence or incident	Rule 59	Level -2
36.	Non-compliance of the directions issued in exercising power of the Inquiry Officer under rule 61	Rule 61	Level - 1
37.	Contravention of rule 62 in respect of identification, risk assessment and protection of critical information and communication technology systems and data	Rule 62	Level -1
38.	Contravention of rule 63 in respect of security measures for critical information and communication technology systems and data	Rule 63	Level -1
39.	Contravention of rule 64 in respect of detection of cyber-attack and cyber security response plan	Rule 64	Level - 1
40.	Contravention of rule 65 in respect of protection of security sensitive information	Rule 65	Level - 1
41.	Contravention of rule 66 in respect of unauthorised disclosure of security sensitive information	Rule 66	Level -2
42.	Contravention of rule 67 in respect of false statements, entries or unauthorized reproduction	Rule 67	Level - 1
43.	Contravention of rule 68 in respect of retention of records	Rule 68	Level - 1
44.	Denial of access to an authorized person for security audit and security inspection	Rule 69(i)	Level - 1

45.	Contravention of rule 69(ii) in respect of security audit and security inspection	Rule 69(ii)	Level - 1
46.	Contravention of rule 70 in respect of internal quality control by entities	Rule 70	Level - 1
47.	Contravention of rule 71 in respect of security training of employees	Rule 71	Level - 1
48.	Contravention of rule 72 in respect of certification and competency of screener	Rule 72	Level - 1
49.	Contravention of rule 73 in respect of installation, operation and maintenance of security equipment	Rule 73	Level - 2
50.	Non-compliance with the directions issued under rule 74	Rule 74	Up to level - 6. In case penalty has already been provided in any rule for the same contravention, then the penalty as specified for that rule shall prevail.

3. Procedure for adjudication of penalty by designated officers: —

(a) The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in the Table 2 under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables 1 and 2 under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(b) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that the proceeding for suspension or cancellation of clearance, permit, certificate or approval as the case may be, has been initiated in pursuance of the section 10B of the Aircraft Act, 1934, for contravention of same rule on same cause of action.

(c) A copy of penalty order passed along with the demand notice by the designated officer shall be served upon such person by a recognized mode of service.

(d) The person aggrieved by the order issued under clause (a), may prefer an appeal in the Form B along with the fee of one thousand rupees in the manner as laid down by the Director-General, within thirty days from the date on which the copy of order issued by the designated officer is received by such person.

(e) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, confirming, modifying or setting aside the order issued by the designated officer.

(f) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officer.

(g) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such order passed by the appellate officer, shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(h) The penalty thus imposed shall be paid by such person in the manner as laid down by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.

(i) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any license, certificate, authorization, permit or approval, as the case may be initiated under these rules.

FORM B (See rule 78) Form of appeal to the appellate officer		
1.	Name(s) of Appellant	
2.	Address	

3.	Email address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with date, against which the appeal is preferred (Copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and post of the designated officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of appeal	
13.	Prayer of the appellant	
14.	Fee and transaction details	

Verification

I _____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and signature of the Appellant

Date:

Place: